इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2018—आश्विन 27, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर, 2018

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

क्र. ई-13-35-2018-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2018 द्वारा श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (फेस 4, राउण्ड-13) में दिनांक 24 सितम्बर से 19 अक्टूबर 2018 तक आयोजित प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के अनुक्रम में श्री एम. सेलवेन्द्रन की प्रशिक्षण अवधि में आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 22 से 27 अक्टूबर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा आयुक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20, 21 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा उक्त उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-912-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., की अवकाश अवधि में श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. विजयदत्ता, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2018

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक पाँच दिन तक "Leadership and strategic Thinking" विषय पर यू. के. में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लोने के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18 सितम्बर 2018 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2018

क्र. ई-1-253-2018-5-एक.—श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर पदस्त किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री सुरेश कुमार द्वारा सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे (2012), अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बदोबस्त ग्वालियर तथा सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (अति. प्रभार) केवल सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

क्र. ई-5-1083-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 24 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 2018 तक तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उषा परमार भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2018

क्र. ई-5-1048-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2018 द्वारा दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2018

क्र. बी-1-103-2018-2-एक.—श्री धीरेन्द्र सिंह, राप्रसे (पी-2014) डिप्टी कलेक्टर, कटनी द्वारा स्वयं की नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला नरसिंहपुर करने का अनुरोध करते हुए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न कर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरांत एतद्द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर कटनी के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला जबलपुर के स्थान पर गृह जिला नरसिंहपुर परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री धीरेन्द्र सिंह, राप्रसे के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव ''कार्मिक''.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 2018

क्र. एफ 1(ए)152-93-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 15 से 27 अक्टूबर 2018 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 अक्टूबर, 2018 एवं 28 अक्टूबर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सिक्किम की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, का कार्य अब श्री राजेश चावला, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2018

क्र. एफ 1(ए) 107-08-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 11 से 21 अगस्त 2018 तक कुल 11 दिवस अर्जित अवकाश की कोर्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, का चालू कार्य श्री गौरव तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 191-91-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल को दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2018 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित एवं 10-11 नवम्बर 2018 एवं 17-18 नवम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् अण्डमान (हैवलॉक) की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, अति. पुलिस महानिदेशक, कल्याण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(बी)83-2014-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र. 12 (अनुक्रमांक 100767-अनुसूचित जाति-पुरूष) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ 5400/- (सातवे वेतनमान में लेवल-12 में 56,100—177500/-) में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	12	श्री कोक सिंह परिहार C/O गोविन्द क्लाथ स्टोर सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर, म. प्र. 474006.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर.

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 4785-इक्कीस-ब (एक)-2018.—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 2 सितम्बर, 2018 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर पार्ट टाइम रिपोर्टर, (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के पद पर नियुक्त श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, जबलपुर को सेवा से पृथक् (Dispense from service) करता है.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 4847-इक्कीस-बी (एक)-2018.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवाएं एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:—

1. श्री वरूण पुनासे
2. श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 3(बी)1-2016-इक्कीस-ब (एक) 4851.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 की चयन सूची दिनांक 26 मार्च 2018 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री गोविन्द शर्मा पिता श्री राम प्रकाश शर्मा (मेरिट क्र. 38) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गोविन्द शर्मा पिता श्री राम प्रकाश शर्मा का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 38 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 1(सी)4460-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला पन्ना के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री शारदा प्रसाद सिंगरौल, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1711/90 दिनांक 5 दिसम्बर 1990) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री शारदा प्रसाद सिंगरौल, अधिवक्ता, पन्ना की उक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 4 नवम्बर 1963 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री शारदा प्रसाद सिंगरौल, अधिवक्ता पन्ना को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उप योजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री शारदा प्रसाद सिंगरौल, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, पन्ना को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी)4483-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला दमोह के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री सुधीर पाण्डे, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./3673/2000 दिनांक 27 सितम्बर 2000) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री सुधीर पाण्डे, दमोह की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रुप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 15 अगस्त 1974 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री सुधीर पाण्डे, अधिवक्ता दमोह को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उप योजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री सुधीर पाण्डे, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, दमोह को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2018

क्र. बी-4-12-2016-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7, दिनांक 30 जुलाई, 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत रहली, जिला सागर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है. नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु 40 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जाये.

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रस्तावित अधोसंरचना विकास के लिये अनावर्ती मद में राशि रुपये 8292.03 लाख तथा संचालन के लिए आवर्ती व्यय हेतु राशि रुपये 3163.30 लाख तीन वर्ष में राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

उद्यानिकी महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2354 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01-पद, प्रध्यापक के 08-पद, सह प्राध्यापक के 11-पद, सहायक प्राध्यापक के 31-पद तथा गैर शैक्षणिक के 41-पद, इस तरह कुल 92-पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है. शेष कार्य आउटसोर्स किया जा सकता है.

परिशिष्ट-1

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

अ—अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन, आदि) विकास कार्य जैसे विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप.	8163.53	1500.00 1500.00*	2000.00	3163.53
2	उपकरण	100.00	50.00	50.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	8.50	8.50	—	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग	20.00	—	10.00	10.00
	कुल अनावर्ती व्यय	8292.03	3058.50	2060.00	3173.53

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2651.70	818.01	874.20	959.49
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	146.00	41.00	47.00	58.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	65.60	18.00	21.60	26.00
4	ब्लाक ग्रांट	300.00	100.00	100.00	100.00
	कुल आवर्ती व्यय	3163.30	977.01	1042.80	1143.49
	योग—(अ एवं ब)	11455.33	4035.51	3102.80	4317.02

परिशिष्ट-2 (अ)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ. प्रशासकीय पद : —

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- एजीपी

ब. शैक्षणिक पद : —

क्र.	विभाग	प्रध्यापक वेतनमान रु. 37,400-67,000+10,000/- एजीपी	सह प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+9000/- एजीपी	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100+6000/- एजीपी
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	फल विज्ञान (Breeding+Production)	01	02	03
2	सब्जी विज्ञान (Breeding+Production+seed Production/seed Technalogy)	01	01	04
3	फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production).	01	01	02
4	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding+Production).	01	01	02
5	पादप संरक्षण (Entomalogy+Plant Pathalogy)	01	02	03
6	आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry, crop physiology, Biotechnology and genetics and plant Breeding, statistics and computer scieneces).	01	02	06
7	प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry, microbiology, water Technology, Environmental Science, Agricultural Engineering, Agroforestry)	01	01	06
8	सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension, Agriculturul Economics, Agri/Horti, Business Management, English, Physical Education & Library Science).	01	01	05
	कुल पद . .	08	11	31

कुल पद—		
अधिष्ठाता	—	01
प्राध्यापक	—	08
सह प्राध्यापक	—	11
सहायक प्राध्यापक	—	31
योग कुल पद . .	—	51

परिशिष्ट-2 (ब)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली जिला सागर के शैक्षणिक लिए गैर पद

(स) गैर शैक्षणिक पद : —

क्र.	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	1
2	अधीक्षक (प्रशासन)	1
3	सहायक लेखा नियंत्रक	1
4	प्रयोगशाला सहायक	1
5	पुस्तकालय सहायक	2
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	8
7	प्रक्षेत्र सहायक	8
8	सेल्फ असिस्टेंट	2
9	कम्प्यूटर सहायक	6
10	केअरटेकर	3
11	वाहन चालक (जीप)	2
12	वाहन चालक (ट्रेक्टर)	2
13	कार्यालय सहायक	4
		41

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति अनुसार गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा.

क्र. बी-4-14-2016-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 8, दिनांक 30 जुलाई 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत खुरई, जिला-सागर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सुनेटी पटवारी हल्का नं. 27 में 33.75 हेक्टर एवं ग्राम घोरट पटवारी हल्का नं. 27 में 16.28 हेक्टर चिन्हित की गई भूमि 50.03 हेक्टर में से 30 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जावे.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए अनावर्ती मद में राशि रुपये 9821.46 लाख तथा महाविद्यालय के संचालन हेतु आवर्ती व्यय के लिए राशि रुपये 3299.31 लाख की वित्तीय सीमा में तीन वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

कृषि महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2353 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संलग्न परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01-पद, सह प्रध्यापक के 08 पद, सहायक प्रध्यापक के 23-पद तथा गैर शैक्षणिक के 54-पद, इस तरह कुल 86-पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है. शेष कार्य आउटसोर्स किये जाने की विधिवत कार्यवाही की जावे.

परिशिष्ट-1

नवीन कृषि महाविद्यालय, खुरई (सागर) की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

(अ) अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य) भवन, छात्रावास, आवासीय भवन, कृषक प्रशिक्षण भवन, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य विकास कार्य जैसे-विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण आदि.	9039.48	1437-55* 2062-50	2500.00	3039.43
2	उपकरण	300.00	100.00	200.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	30.00	30.00	—	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग व्यय (5 प्रतिशत)	451.98	201.98	250.00	—
	कुल अनावर्ती व्यय	**9821.46**	**3832.03**	**2950.00**	**3039.43**

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2449.31	733.19	805.94	910.18
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	195.00	60.00	65.00	70.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	55.00	16.67	18.33	20.00
4	ब्लाक ग्रांट	600.00	200.00	200.00	200.00
	कुल आवर्ती व्यय	3299.31	1009.86	1089.27	1200.00
	योग—(अ एवं ब)	**13120.77**	**4841.89**	**4039.27**	**4239.61**

परिशिष्ट-2 (अ)

कृषि महाविद्यालय खुरई जिला (सागर) के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) **प्रशासकीय पद 01, अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- (ए.जी.पी.)**
(ब) **शैक्षणिक पद :**

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400-67,000+ 9,000/- ए.जी.पी.	सहा-प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39,100+ 6,000/- ए.जी.पी.	कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सस्य विज्ञान	1	4	5
2	कृषि अर्थशास्त्र	1	2	3
3	कृषि प्रसार एवं प्रचार विभाग	1	1	2
4	कीटशास्त्र विभाग	1	2	3
5	जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग	1	2	3
6	हार्टीकल्चर	1	2	3
7	मृदा विज्ञान	1	2	3
8	प्लांट पैथोलाजी	1	2	3
9	पशु विज्ञान	0	1	1
10	कृषि अभियांत्रिकी	0	1	1
11	बायोकैमेस्ट्री	0	1	1
12	क्रीड़ा अधिकारी	0	1	1
13	सहायक ग्रंथपाल	0	1	1
14	प्रक्षेत्र प्रबंधक	0	1	1
	कुल पद	8	23	31

*शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

परिशिष्ट-2 (ब)

(स) गैर शैक्षणिक पद :

क्र.	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)
1	पी.ए. टू डीन (अधिष्ठाता)	1
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
3	सहायक शैक्षणिक अधिकारी	1
4	सहायक लेखाधिकारी	1
5	सहायक	3
6	स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर	1
7	स्टोर कीपर	1
8	पुस्तकालय सहायक	1
9	सैल्फ असिस्टेंट	1
10	सहायक (प्रशासनिक भवन)	11
11	प्रयोगशाला सहायक	19
12	फील्ड असिस्टेंट	13
	कुल पद . .	54

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति उपरांत गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा तथा शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018/5 अक्टूबर 2018

क्र. बी-4-14-2016-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 32, दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के परिपालन में जिला-सागर में उद्यानिकी महाविद्यालय, रहली एवं कृषि महाविद्यालय, खुरई की स्थापना हेतु अनुवर्ती स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अन्तर्गत जिला सागर में उद्यानिकी महाविद्यालय, रहली एवं कृषि महाविद्यालय, खुरई की स्थापना हेतु परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2018 की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया.

2. मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7 एवं 8 दिनांक 30 जुलाई 2018 के पालन में विभागीय आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 पर परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा के क्रम में विभागीय संक्षेपिका की कण्डिका क्रमांक 6 अनुसार, उद्यानिकी महाविद्यालय रहली में एक अधिष्ठाता के पद सहित कुल 51 शैक्षणिक पद एवं 41 गैर शैक्षणिक पद (विभागीय आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 का परिशिष्ट-1 2 'अ' 2 'ब') एवं कृषि महाविद्यालय, खुरई में एक पद अधिष्ठाता एवं 31 शैक्षणिक पद तथा 54 गैर शैक्षणिक पद (विभागीय आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 का परिशिष्ट-2 2 'अ' 2 'ब' अनुसार स्वीकृति दी जाती है.

   उपरोक्त स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया दोनों महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम, आईसीएआर मापदण्डों, राज्य शासन नियमों एवं निर्देशों के तहत विधिवत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये.

3. दोनों महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रारंभ कर पी.ए.टी. 2018 की प्रवेश परीक्षा की प्रवीणता सूची की प्रतिक्षा सूची से छात्रों को प्रवेश दिया जावे.

4. कृषि महाविद्यालय, खुरई की स्थापना हेतु चिन्हित ग्राम सुनेटी पटवारी हल्का नं. 27 में से 33.75 हेक्टेयर एवं ग्राम घोरट पटवारी हल्का नं. 27 में से 16.28 हेक्टेयर कुल भूमि 50.03 हेक्टेयर में से 30 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जावे.

5. उद्यानिकी महाविद्यालय, रहली की स्थापना हेतु ग्राम पटना ककरी में चिन्हित 99.203 हेक्टेयर भूमि में से 40 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जावे.

6. कृषि महाविद्यालय, खुरई की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष में महाविद्यालय का कार्य शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुरई के रिक्त कमरों में प्रथम वर्ष में प्रारंभ किया जावे तथा इस हेतु तात्कालिक आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चिताओं हेतु राशि रुपये 500.00 लाख आवर्ती/अनावर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी. तत्पश्चात् प्रस्तावित अनावर्ती व्यय को आवश्यकतानुसार तीन चरणों में विभाजित कर औचित्य अनुसार, परियोजना परीक्षण समिति से पुनर्समीक्षा की जाकर, वित्तीय प्रावधान कराया जावे.

7. उद्यानिकी महाविद्यालय, रहली की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष में महाविद्यालय का कार्य शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, गढ़ाकोटा में प्रथम वर्ष में प्रारंभ किया जावे तथा इस हेतु तात्कालिक आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चिताओं हेतु राशि रुपये 500.00 लाख आवर्ती/अनावर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी. तत्पश्चात् प्रस्तावित अनावर्ती व्यय को आवश्यकतानुसार तीन चरणों में विभाजित कर औचित्य अनुसार, परियोजना परीक्षण समिति से पुनर्समीक्षा की जाकर, वित्तीय प्रावधान कराया जावे.

परिशिष्ट-2 (अ)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ. प्रशासकीय पद : —

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- एजीपी

ब. शैक्षणिक पद : —

क्रमांक	विभाग	प्रध्यापक वेतनमान रु. 37,400-67,000+10,000/- एजीपी	सह प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+9000/- एजीपी	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100+6000/- एजीपी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फल विज्ञान (Breeding+Production)	01	02	03
2	सब्जी विज्ञान (Breeding+Production+seed Production/seed Technalogy)	01	01	04
3	फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production).	01	01	02
4	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding+Production).	01	01	02
5	पादप संरक्षण (Entomalogy+Plant Pathalogy)	01	02	03
6	आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry, crop physiology, Biotechnology and genetics and plant Breeding, statistics and computer scieneces).	01	02	06
7	प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry, microbiology, water Technology, Environmental Science, Agricultural Engineering, Agroforestry)	01	01	06
8	सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension, Agriculturul Economics, Agri/Horti, Business Managemenet, English, Physical Education & Library Science).	01	01	05
	कुल पद . .	08	11	31

कुल पद—		
अधिष्ठाता	—	01
प्राध्यापक	—	08
सह प्राध्यापक	—	11
सहायक प्राध्यापक	—	31
योग कुल पद . .	—	51

परिशिष्ट-2 (ब)

उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर के शैक्षणिक लिए गैर पद

(स) गैर शैक्षणिक पद : —

क्र.	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	1
2	अधीक्षक (प्रशासन)	1
3	सहायक लेखा नियंत्रक	1
4	प्रयोगशाला सहायक	1
5	पुस्तकालय सहायक	2
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	8
7	प्रक्षेत्र सहायक	8
8	सेल्फ असिस्टेंट	2
9	कम्प्यूटर सहायक	6
10	केअरटेकर	3
11	वाहन चालक (जीप)	2
12	वाहन चालक (ट्रेक्टर)	2
13	कार्यालय सहायक	4
		41

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति अनुसार गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा.

परिशिष्ट-2 (अ)

कृषि महाविद्यालय खुरई, जिला सागर के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) **प्रशासकीय पद 01, अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- (ए.जी.पी.)**
(ब) **शैक्षणिक पद :**

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400-67,000+ 9,000/- ए.जी.पी.	सहा-प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39,100+ 6,000/- ए.जी.पी.	कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सस्य विज्ञान	1	4	5
2	कृषि अर्थशास्त्र	1	2	3
3	कृषि प्रसार एवं प्रचार विभाग	1	1	2
4	कीटशास्त्र विभाग	1	2	3
5	जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग	1	2	3
6	हार्टीकल्चर	1	2	3
7	मृदा विज्ञान	1	2	3
8	प्लांट पैथोलाजी	1	2	3
9	पशु विज्ञान	0	1	1
10	कृषि अभियांत्रिकी	0	1	1
11	बायोकैमेस्ट्री	0	1	1
12	क्रीड़ा अधिकारी	0	1	1
13	सहायक ग्रंथपाल	0	1	1
14	प्रक्षेत्र प्रबंधक	0	1	1
	कुल पद	8	23	31

*शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

परिशिष्ट-2 (ब)

(स) गैर शैक्षणिक पद :

क्र.	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)
1	पी.ए. टू डीन (अधिष्ठाता)	1
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
3	सहायक शैक्षणिक अधिकारी	1
4	सहायक लेखाधिकारी	1
5	सहायक	3
6	स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर	1
7	स्टोर कीपर	1
8	पुस्तकालय सहायक	1
9	सैल्फ असिस्टेंट	1
10	सहायक (प्रशासनिक भवन)	11
11	प्रयोगशाला सहायक	19
12	फील्ड असिस्टेंट	13
	कुल पद . .	54

*मंत्रि-परिषद् स्वीकृति उपरांत गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा तथा शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. बी-4-14-2018-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 76, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत जिला-छिन्दवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा ग्राम खुनाझिरकला, रा.नि.मं. इकलबिहरी, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 497/1, 497/2/1, 497/3 एवं 498 क्रमशः रकबा 32.376 हैक्टेयर, 3.751 हैक्टेयर, 7.281 हैक्टेयर एवं 0.575 हैक्टेयर कुल रकबा 43.983 हैक्टेयर चिन्हांकित भूमि का उपयोग किया जावे.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु तीन वर्षों के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार राशि रुपये 13444.34 लाख की स्वीकृति प्रदाय की जाती है. जिसमें से अनावर्ती व्यय हेतु कुल राशि 10281.04 लाख एवं आवर्ती व्यय हेतु राशि रुपये 3163.30 लाख व्यय की जावे. यह व्यय वित्तीय सीमा में तीन वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का एक पद सहित कुल 51 शैक्षणिक पद तथा 76 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदाय की जाती है.

परिशिष्ट-1

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला छिन्दवाड़ा की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

अ—अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रारंभ से पूर्व	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन, आदि) विकास कार्य जैसे विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप.	10109.54	472.55	3000.00	3000.00	3636.99
2	उपकरण	100.00	—	50.00	50.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	51.50	—	11.50	40.00	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग	20.00	—	—	10.00	10.00
	कुल अनावर्ती व्यय	10281.04	472.55	3061.50	3100.00	3646.99

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रारंभ से पूर्व	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2651.70	—	818.01	874.20	959.49
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	146.00	—	41.00	47.00	58.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	65.60	—	18.00	21.60	26.00
4	ब्लाक ग्रांट	300.00	—	100.00	100.00	100.00
	कुल आवर्ती व्यय	3163.30	—	977.01	1042.80	1143.49
	योग—(अ एवं ब)	13444.34	472.55	4038.51	4142.80	4790.48

परिशिष्ट-2 (अ)

उद्यानिकी महाविद्यालय जिला छिन्दवाड़ा के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ. प्रशासकीय पद : —

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- एजीपी

ब. शैक्षणिक पद : —

क्र.	विभाग	प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+ 10000/- एजीपी	सह प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+ 9000/- एजीपी	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100+ 6000/- एजीपी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फल विज्ञान (Breeding+Production)	01	02	03
2.	सब्जी विज्ञान (Breeding+Production+seed Production/seed Technalogy)	01	01	04
3.	फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production).	01	01	02
4.	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding+Production).	01	01	02
5.	पादप संरक्षण (Entomalogy+Plant Pathalogy)	01	02	03
6.	आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry, crop physiology, Biotechnology and genetics and plant Breeding, statistics and computer scieneces).	01	02	06
7.	प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry, microbiology, water Technology, Environmental Science, Agricultural Engineering, Agroforestry)	01	01	06
8	सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension, Agricultural Economics, Agri/Horti, Business Management, English, Physical Education & Library Science).	01	01	05
	कुल पद . .	08	11	31

कुल पद		
अधिष्ठाता	—	01
प्राध्यापक	—	08
सह प्राध्यापक	—	11
सहायक प्राध्यापक	—	31
योग कुल पद . .	—	51

परिशिष्ट-2 (ब)

उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला-छिन्दवाड़ा के गैर शैक्षणिक के लिए पद

(स) गैर शैक्षणिक पद : —

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान रुपये (3)	संख्या (4)
1	सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100+5400	1
2	सहायक लेखा नियंत्रक	15600—39100+5400	1
3	सहायक यंत्री (सिविल)	15600—39100+5400	1
4	सहायक चिकित्सा अधिकारी	15600—39100+5400	1
5	अधीक्षक (प्रशासन)	9300—34800+3600	1
6	कनिष्ठ यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	9300—34800+3200	1
7	पुस्तकालय सहायक	5200—20200+2400	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200—20200+2400	8
9	प्रक्षेत्र सहायक	5200—20200+2400	8
10	कम्प्यूटर सहायक	5200—20200+2400	6
11	वाहन चालक (जीप)	5200—20200+1900	6
12	प्रयोगशाला सहायक	5200—20200+1800	1
13	सेल्फ असिस्टेंट	4440—7440+1300	2
14	वाहन चालक (ट्रेक्टर)	5200—20200+2100	2
15	केअर टेकर	5200—20200+1800	3
16	खेल सहायक	5200—20200+2400	2
17	कार्यालय सहायक	4440—7440+1300	6
18	नर्स (पुरुष+स्त्री)	5200—20200+1900	2
			योग . . 54

निम्न पद आउट सोर्सिंग के आधार पर भरे जावेंगे:—

19	कुक*	4440—7440+1300	4
20	प्लम्बर*	5200—20200+1800	1
21	इलेक्ट्रिशियन*	5200—20200+2100	1
22	परिचालक (बस)*	4440—7440+1300	2
23	माली*	4440—7440+1300	6
24	दरबान*	4440—7440+1300	2
25	वाचमेन*	4440—7440+1300	6
			योग . . 22
			कुल योग . . 76

क्र. बी-4-18-2018-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-77, दिनांक 1 अक्टूबर 2018 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत जिला-पन्ना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम द्वारा ग्राम जनकपुर पटवारी हल्का नं. 13 जिला पन्ना में चिन्हित/आरक्षित भूमि (30 हैक्टेयर) का उपयोग किया जावे.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत नवीन कृषि महाविद्यालय जिला पन्ना हेतु कुल तीन वर्षों के लिए परिशिष्ट-एक अ एवं ब अनुसार राशि रुपये 14696.67 लाख (आवर्ती व्यय राशि रुपये 3371.82 लाख एवं अनावर्ती व्यय राशि रुपये 11324.85 लाख) की स्वीकृति मांग संख्या 54 (नवीन मद) अन्तर्गत दी जाती है. यह व्यय वित्तीय सीमा में तीन वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरान्त मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन अनुसार निर्धारण किया जावेगा.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) अनुसार अधिष्ठाता का 01-पद, सहित कुल 32 शैक्षणिक पद तथा 54 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदाय की जाती है. गैर शैक्षणिक पद, बार्डन, केयर टेकर/सहायक, सुरक्षा सहायक आदि पद नियमानुसार आउटसोर्स किये जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

(अ) अनावर्ती :—

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य) भवन बालक-बालिका छात्रावास, आवासीय भवन, कृषक प्रशिक्षण भवन, अतिथि भवन, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य विकास कार्य जैसे-विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण आदि.	10454.62	437.55* 4000.00	4000.00	2017.07
2	उपकरण	300.00	100.00	200.00	—
3	वाहन (बस 01), जीप (01), ट्रेक्टर (02) एवं मोटर सायकिल (02).	47.50	30.00	17.50	—
4	5 प्रतिशत व्यय वृद्धि	522.73	300.00	222.73	—
	कुल अनावर्ती व्यय	**11324,85**	**4867.55**	**4440.23**	**2017.07**

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2521.82	753.96	829.89	937.97
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	195.00	60.00	65.00	70.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	55.00	16.67	18.33	20.00
4	ब्लाक	600.00	200.00	200.00	200.00
	कुल आवर्ती व्यय	3371.82	1030.63	1113.22	1227.97
	योग—(अ एवं ब)	**14696.67**	**5898.18**	**5553.45**	**3245.04**

परिशिष्ट-2 (अ)

कृषि महाविद्यालय पन्ना के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) **शैक्षणिक पद :**

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400-67,000+ 9,000/- ए.जी.पी.	सहा-प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39,100+ 6,000/- ए.जी.पी.	कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सस्य विज्ञान	1	4	5
2	कृषि अर्थशास्त्र	1	2	3
3	कृषि प्रसार एवं प्रचार विभाग	1	1	2
4	कीटशास्त्र विभाग	1	2	3
5	जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग	1	2	3
6	हार्टीकल्चर	1	2	3
7	मृदा विज्ञान	1	2	3
8	प्लांट पैथोलाजी	1	2	3
9	पशु विज्ञान	0	1	1
10	कृषि अभियांत्रिकी	0	1	1
11	बायोकैमेस्ट्री	0	1	1
12	क्रीड़ा अधिकारी	0	1	1
13	सहायक ग्रंथपाल	0	1	1
14	प्रक्षेत्र प्रबंधक	0	1	1
	कुल पद	8	23	31

(ब) प्रशासकीय पद 01, अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- ए.जी.पी.

अधिष्ठाता	—	01 पद
शैक्षणिक पद	—	31 पद
कुल . .	—	32 पद

*शेष कार्य आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

परिशिष्ट-2 (ब)

कृषि महाविद्यालय, पन्ना के लिये गैर शैक्षणिक पद

(स) गैर शैक्षणिक पद :

क्र. (1)	पदनाम (2)	संख्या (3)
1	पी. ए. टू डीन (अधिष्ठाता)	1
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
3	सहायक शैक्षणिक अधिकारी	1
4	सहायक लेखाधिकारी	1
5	सहायक (प्रत्येक के लिए एक)	3
6	स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर	1
7	स्टोर कीपर	1
8	पुस्तकालय सहायक	1
9	सैल्फ असिस्टेंट	1
10	सहायक (प्रशासनिक भवन)	11
11	प्रयोगशाला सहायक	19
12	वाहक (संदेश/पत्र)	13
	कुल पद . .	54

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त बार्डन, केयर टेकर/सहायक, सुरक्षा सहायक आदि पद आउटसोर्स किये जा सकते हैं.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र. एफ-7-30-2012-अठारह-6.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 के नियम 17 के अध्याधीन श्री ध्रुवप्रताप सिंह को अध्यक्ष, कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी नियुक्त किया गया था, जिनकी कार्य अवधि दिनांक 8 अगस्त 2018 को समाप्त हो चुकी है.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री ध्रुवप्रताप सिंह, अध्यक्ष, कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी के कार्यकाल में निरंतर आगामी एक वर्ष की वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

सूचना

क्र. एफ-3-101-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1206-उपां-टीसी-40-2013, दिनांक 1 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बुरहानपुर शहर	528	कुल रकबा 7.547 हेक्टेयर में से 3209.985 वर्गमीटर	सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक एवं मार्ग.	वाणिज्यिक
		कुल रकबा	3209.985 वर्गमीटर		

शर्तें :

1. बस स्टेण्ड से स्टेडियम की ओर जाने वाले मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर रखना आवश्यक होगा तथा दुकानों के सामने 4.50 मीटर चौड़ी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग रखना आवश्यक होगा.

2. दुकानों के सामने न्यूनतम 108 मीटर चौड़ा कॉरीडोर छोड़ना आवश्यक होगा.

3. दुकानों के बीच में से विद्यालय के प्रवेश एवं निर्गम की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर रखना आवश्यक होगा.

4. प्रस्तावित दुकानों की किसी भी प्रकार की ओपनिंग विद्यालय की ओर नहीं होगी.

5. दुकानों में स्कूल से प्रतिबंधित दूरी तक शराब, सिगरेट एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रय व व्यापार पर प्रतिबंध रहेगा.

6. दुकानों में ऐसी कोई गतिविधि या व्यापार मान्य नहीं होगा जो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण का कारक हो.

7. विद्यालय के खेल मैदान का पूर्ण विकास किया जाना होगा.

8. भूमि पर निर्माण इस प्रकार किया जाए कि विद्यार्थियों के खेलकूद गतिविधि हेतु मैदान उपलब्ध हो.

9. कलेक्टर द्वारा भूमि पर निर्मित होने वाली दुकानों से प्राप्त आय का उचित भाग शाला विकास हेतु व्यय किया जाएगा.

10. निर्मित व्यावसायिक परिसर से विद्यार्थियों के हितों से शाला एवं शाला परिसर के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए.

उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-ए-6-34-2017-1-पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रंजीत सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (5) में किए गए प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के पद पर 31 मार्च 2020 अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है. अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के उक्त पद की निरंतरता 31 मार्च 2020 के पश्चात् प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्ति अवधि में वृद्धि की जा सकेगी.

(2) श्री रंजीत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त न्यायिक सदस्य का मुख्यालय भोपाल नियत किया जाता है.

(3) श्री रंजीत सिंह ठाकुर, न्यायिक सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अंत में प्राप्त किये थे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 2-121-2017-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत स्टार्टअप के लिए घटक का प्रावधान किया जावे.

2. इस उपघटक के तहत निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाले स्टार्टअप सहायता हेतु पात्र होंगे.

(1) स्टार्टअप औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (DIPP) भारत सरकार के साथ स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत हो.

(2) स्टार्टअप मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स से सम्बद्ध हो.

(3) स्टार्टअप किसी उत्पाद के मेन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र में कार्यरत है तो उसके उत्पाद का प्रोटोटाइप विकसित हो चुका हो अथवा सफलता पूर्वक मार्केट टेस्ट हो चुका हो अथवा उसके उत्पाद के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR-Intellectual Property Right) प्राप्त हो चुका हो.

(4) स्टार्टअप किसी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है तो उसके सेवा कॉन्सेप्ट (Concept) का सफलता पूर्वक मार्केट टेस्ट हो चुका हो.

3. स्टार्टअप के प्रकरणों की अनुशंसा मध्यप्रदेश इन्क्यूबेशन तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना 2016 अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाने के उपरान्त ही TFC द्वारा प्रकरण बैंक को प्रेषित किया जायेगा.

4. इस घटक अन्तर्गत सहायता हेतु आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा.

5. इसके लिए कोई पृथक् बजट प्रावधान नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विद्यमान बजट के अन्तर्गत 10% तक व्यय इस घटक पर किया जा सकेगा.

6. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना स्टार्टअप घटक के अन्तर्गत स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में हितग्राही राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा.

7. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के शेष प्रावधान यथावत लागू होंगे.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 2-121-2017-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अन्तर्गत रुपये 50,000 से 10.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मर्जिनमनी एवं ब्याज अनुदान संबंधी प्रावधान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रावधानों के समतुल्य किए जाएं.

2. उपरोक्त निर्णयानुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-121-2017-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2017 की कंडिका 1.2 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की उपकंडिका (iii), वित्तीय सहायता अन्तर्गत (क) मर्जिनमनी सहायता एवं (ख) ब्याज अनुदान के प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाते हैं—

1.2 (iii) **वित्तीय सहायता :**

(क) मार्जिनमनी सहायता-

(1) रुपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए:—

(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख).

(ब) BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 18 लाख).

(2) रुपये 10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए:—

(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख).

(ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2 लाख).

(स) अतिरिक्त प्रावधान—

(i) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 3 लाख).

(ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1 लाख) की पात्रता है.

(ख) ब्याज अनुदान

(1) रुपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक. (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष).

(2) रुपये 10 लाख से कम की परियोजना के लिए परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक. (अधिकतम रुपये 25,000 प्रतिवर्ष).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 12-02-2018-बासठ.—मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के प्रस्ताव अनुसार घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की सूची के क्रमांक 30 जिस पर धनगर उल्लेखित हैं, में उपजाति के रूप में गडरिया, कुरमार, हटकर, हाटकर, गाडरी, धारिया, गोसी, ग्वाला (गडरिया), गारी, गायरी गडरिया (पाल बघेले) को शामिल किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-8-7-2011-पचास-1.—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियम 3 (iv) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना के जारी होने के दिनांक 9 अगस्त 2016 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा नामांकित सुश्री कविता शर्मा, 145, नेचरविला त्रिवेनपुरम झांसी, इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) को अशासकीय सदस्य, तीन वर्ष के लिए नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-09-16-2018-पैंतालिस.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति, 2018 जारी करती है:—

(1) नगर विमानन का क्षेत्र आर्थिक विकास और राज्य एवं देश के विकास का वाहक है. इस क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गई है. इसी नीति के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रोत्साहनों के माध्यम से न्यून-प्रयुक्त (underserved) और अ-प्रयुक्त (un-served) हवाई अड्डों/ हवाई पट्टियों को जोड़ने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संपर्कता योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-आर.सी.एस.) प्रारंभ की गयी है. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों को आर.सी.एस. हवाई अड्डों / हवाई पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाना है. योजना में हवाई सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न चिन्हित हवाई अड्डों को अन्य प्रचलित हवाई अड्डों से जोड़ने हेतु आवश्यक Viability gap funding (VGF) की मांग की जाती है जिसका भुगतान केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 80:20 के अनुपात में किया जाता है. योजना में राज्य सरकारों से

यह भी अपेक्षा की गयी है कि आर.सी.एस. के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रोत्साहन दिये जायें ताकि उड़ान कम्पनियों (एयरलाइंस) को आकर्षित किया जा सके और नये वायु मार्गों को शुरू किया जा सके. अत: राज्य में एयरलाइंस/एयर आपरेटरों को आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश वायु संपर्कता (M.P. Air Connectivity Policy) नीति विकसित करने की आवश्यकता है ताकि आर.सी.एस. अन्तर्गत बिडिंग प्रक्रिया में प्रदेश के न्यून-प्रयुक्त (underserved) और अ-प्रयुक्त (un-served) हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों और शहरों को लाभ मिल सके. इस नीति का प्रयोजन राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है.

2. **नीति के उद्देश्य :**

i. आर.सी.एस. के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में नये वायु मार्गों का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एयरलाईन ऑपरेटर्स को प्रोत्सहित करना और प्रदेश के नान आर.सी.एस. हवाई अड्डों के मध्य आंतरिक संयोजकता (इन्टर कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देना.

ii. देश के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना.

iii. व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना.

iv. विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात, अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात, विनिर्माण और ई-कामर्स कारोबार को बढ़ावा देना.

v. मानव संसाधन विकसित करके एवं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना.

3. **नीति के तहत पात्रता निर्धारण :**

भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आर.सी.एस.) अन्तर्गत प्रदेश के न्यून-प्रयुक्त (underserved) और अ-प्रयुक्त (un-served) हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों को वायु सेवा से जोड़ने हेतु चयनित एयरलाईन ऑपरेटर इस नीति के तहत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे.

4. **नीति के तहत अनुदान :**

4.1 इस नीति के प्रभावशील होने पर पात्रतानुसार प्रत्येक RCS Airport हेतु निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया जायेगा:—

प्रत्येक RCS Airport को जोड़ने पर (इसमें Landing एवं take-off शामिल है) प्रति संचलन (landing एवं take-off) हेतु देय अनुदान

क्र.	एयरक्राफ्ट श्रेणी	Class-I		Class-II	
		अनुदान (राशि रुपये में)	अधिकतम देय अनुदान की मासिक सीमा (राशि लाख में)	अनुदान (राशि रुपये में)	अधिकतम देय अनुदान की मासिक सीमा (राशि लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Category 1A (< 9 seater)**	40,000	12	20,000	6
2	**Category-1 (9 -20 seater)**	80,000	24	40,000	12
3	**Category-2 (21-80 seater)**	1,50,000	45	75,000	22.50
4	**Category-3 (> 80 seater)**	2,00,000	60	1,00,000	30

Class-I

यदि आर.सी.एस. रूट में आर.सी.एस. एयरपोर्ट के अतिरिक्त कम से कम एक एयरपोर्ट मध्यप्रदेश के चुनिन्दा एयरपोर्ट (इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं खजुराहो) में से हो. उदाहरणार्थ-आर.सी.एस. एयरपोर्ट-B को जोड़ने के लिए प्रस्तावित आर.सी.एस. रूट A-B-C में कम से कम एक एयरपोर्ट (A या C दोनों) मध्यप्रदेश के चुनिन्दा एयरपोर्ट में से हो.

Class-II

यदि आर.सी.एस. रूट में आर.सी.एस. एयरपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई एयरपोर्ट मध्यप्रदेश का न हो. उदाहरणार्थ-आर.सी.एस. एयरपोर्ट-B को जोड़ने के लिए प्रस्तावित आर.सी.एस. रूट A-B-C में A एवं C दोनों ही मध्यप्रदेश के चुनिन्दा एयरपोर्ट (इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं खजुराहो) न हों. A या C में मध्यप्रदेश के अन्य आर.सी.एस. एयरपोर्ट होने पर भी, इसी श्रेणी में माना जायेगा.

4.2 इस नीति के तहत पात्रताधारी पर भारत सरकार नागर विमान मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अन्तर्गत विहित की गई समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी.

4.3 इस नीति के तहत पात्रताधारी को अनुदान भी तक स्वीकृत किया जायेगा, जब तक कि उसे क्षेत्रीय संपर्कता योजना (RCS) अन्तर्गत व्यावहार्य ता अंतराल वित्त पोषण (VGF) स्वीकृत किया गया है. उक्त अवधि के पश्चात् अनुदान जारी रखने के संबंध में राज्य शासन द्वारा पृथक् से यथोचित निर्णय लिया जायेगा.

4.4 इस नीति के तहत पात्रताधारी को अनुदान प्रदान करने एवं आगामी अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए आयुक्त, विमानन अधिकृत होंगे.

5. **नीति का क्रियान्वयन :**

इस नीति के तहत् अनुदान/सुविधा आदि देने के लिए विमानन विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश/अधिसूचना जारी कर सकेगा. नीति की व्याख्या/विवाद-निराकरण अथवा क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के मामलों को/प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा:—

क्र.	पद	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
2	प्रमुख सचिव, विमानन	सदस्य
3	आयुक्त, विमानन	सदस्य-सचिव

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी. यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यत: किया जायेगा.

6. **निरसन :**

मध्यप्रदेश वायु-संपर्कता नीति-2018 के लागू होने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा जारी नीति "प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने के संबंध में नीति 2014" निरसित मान्य की जायेगी. तथापि निरसित की जा रही नीति के लागू रहने की अवधि के संबंध में पात्र इकाईयों को लाभ, यदि कोई शेष हो, प्रदान किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-5-7--सत्ताईस-दो-2000.—मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-7-सत्ताईस-दो-2000, दिनांक 20 मार्च 2000 के अनुसरण में उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

1. खण्ड 15 में अंतिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाय, अर्थात्:—

"यद्यपि, ऐसे आदेश और निदेश खण्ड-15-अ में विहित रीति में अपील योग्य होंगे."

2. खण्ड 15 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"15-अ एकल सदस्य पीठ के आदेश और निदेश से व्यथित कोई भी पक्ष शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण के दो सदस्यों से समाविष्ट, शिकायत निवारण प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली डबल बैंच के समक्ष उस एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा. ऐसी अपील फाईल करने की परिसीमा 60 दिन होगी सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां विलम्ब को स्पष्ट करने के पर्याप्त कारण है या पीठ की दृष्टि में ऐसे विलम्ब को माफ करना न्यायहित में समीचीन हो."

No. F-5-7-27-2-2000.—The Government of Madhya Pradesh in continuance of the Notification No. F-5-7-27-2-2000-474, dated 30th March 2000, hereby makes the following further amendments, in the said notification, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification:—

1. In clause 15, after the last line, the following line shall be added, namely:—

"However, such order and directions shall be appealable in the manner prescribed in clause 15A."

2. After clause 15, following Clause 15-A shall be inserted, namely:—

"15-A. Any party, before the GRA, being aggrieved by the order and directions of the single member bench, may file an appeal against the order of that single member bench before a division bench to be constitued by the Chairman of the Grievance Redressal Authority, comprising of two members of the Grievance Redressal Authority. Limitation for filing such an appeal shall be 60 days except in cases where there are sufficient reasons to explain the delay or in view of the bench it is expedient in the interest of juctice to condone such delay."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बघेल, अवर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5-5-09-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम-4 के खण्ड (पांच) में सारणी एक एवं सारणी दो को निम्नानुसार संशोधित सारणी एक व सारणी दो से प्रतिस्थापित किया जाता है.

सारणी-एक

क्र. (1)	कुल विनिधान (2)	प्रस्तावित शुल्क (3)
1	रुपये 01 करोड़ से कम	5,000/-
2	रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	15,000/-
3	रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	40,000/-
4	रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	60,000/-
5	रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	75,000/-
6	रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	1,00,000/-
7	रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	2,00,000/-
8	रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	3,00,000/-
9	रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	5,00,000/-
10	रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	15,00,000/-
11	रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	25,00,000/-
12	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	30,00,000/-

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी एक में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 2,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी दो में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

2. नियम-5 में उपनियम (पांच) (क) में सारणी चार एवं सारणी पांच को निम्नानुसार संशोधित सारणी चार व सारणी पांच से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

सारणी–चार

क्र. (1)	कुल विनिधान (2)	शुल्क (रुपये) (3)
1	रुपये 01 करोड़ से कम	5,000/-
2	रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम	10,000/-
3	रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम	20,000/-
4	रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम	30,000/-
5	रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम	50,000/-
6	रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम	75,000/-
7	रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम	1,00,000/-
8	रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम	2,00,000/-
9	रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम	3,00,000/-
10	रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम	5,00,000/-
11	रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम	15,00,000/-
12	रुपये 5000 करोड़ से अधिक	25,00,000/-

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा, सारणी चार में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत् लागू होंगे.

सारणी–पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 1,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक्-पृथक् शुल्क देय होगा. सारणी पांच में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे.

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क तालिका अन्तर्गत क्रम संख्या 5 पर वर्णित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अन्तर्गत पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु प्रशासकीय शुल्क की ऊपरी सीमा रुपये 5.00 लाख होगी.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

No. F-5-5-09-XXXII.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government after consulation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Praesh Rules, 1975, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 4, sub-rule (5) Table-One and Table-two are substituted with following amended Table-One and Table-two:—

Table - One

S. No. (1)	Total Investment (Rs.) (2)	Fees (Rs.) (3)
1	Less than Rs. 1 crores	5,000/-
2	Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores	15,000/-
3	Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores	40,000/-
4	Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores	60,000/-
5	Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores	75,000/-
6	Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores	1,00,000/-
7	Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores	2,00,000/-
8	Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores	3,00,000/-
9	Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores	5,00,000/-
10	Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores	15,00,000/-
11	Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores	25,00,000/-
12	Equal to or more than 5000 crores	30,00,000/-

Fees will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-one will apply as it is.

Table - Two

Fees for consent to establish for mines will be Rs. 2,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-two will apply as it is.

2. In Rule 5, sub-rule (5) (a) Table-four and Table-five are substituted with following amended Table-four and Table-five.

Table - Four

S. No. (1)	Total Investment (Rs.) (2)	Fees (Rs.) (3)
1	Less than Rs. 1 crores	5,000/-
2	Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores	10,000/-
3	Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores	20,000/-
4	Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores	30,000/-
5	Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores	50,000/-
6	Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores	75,000/-
7	Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores	1,00,000/-
8	Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores	2,00,000/-
9	Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores	3,00,000/-
10	Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores	5,00,000/-
11	Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores	15,00,000/-
12	Equal to or more than 5000 crores	25,00,000/-

Table - Five

Fees for consent to operate/annual consent renewal for mines will be Rs. 1,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-Five will apply as it is.

3. In the table of the fees payable to M. P. Pollution Control Board for registration/permission/authorization under Environment (Protection) Act, 1986, for Plastic Waste Management Rules, 2016 mentioned at serial no. 5, the upper limit of administrative fee will be Rs. 5.00 Lakhs.

The above amendments shall become effective from the date of publicaiton of notificaion.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैलाश बुन्देला, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. एफ-5-4-(9-4)-2013-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम को उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर अस्थायी रूप से पदस्थ करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम.	खण्डवा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, इंदौर क्र. 2.
3.	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम.	रीवा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जबलपुर क्र. 2.
4.	श्रीमती राधा सोनकर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम.	सतना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रतलाम.

2. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम को अपनी नवीन पदस्थापना स्थान पर दिनांक 22 सितम्बर 2018 के पूर्व पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा.

क्र. एफ-5-4(9-4)-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 24-08-2018 के संदर्भ में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की दिनांक से आगामी 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक नियुक्त कर पदस्थ करता है:—

क्र.	नाम एवं पता	पदनाम एवं पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री गौरीशंकर दुबे आत्मज श्री मूलचंद दुबे, डी 15, डी. बी. सिटी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश 474001.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, शिवपुरी.
2.	श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, आत्मज श्री आनंदी लाल, 136, वर्धमान कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473551.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भोपाल क्र. 2.
3.	श्री अनुपम श्रीवास्तव आत्मज श्री विशम्भर दयाल श्रीवास्तव, जे. एफ. 1, जजेस इनक्लेव रेसीडेंसी, इन्दौर, मध्यप्रदेश 452001.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, विदिशा.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला आत्मज श्री नवल बिहारी शुक्ला, 295, ललनपुरा मठ, झांसी, उत्तरप्रदेश 284303.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, होशंगाबाद.
5.	श्री श्रीराम दिनकर आत्मज श्री भगवानदास दिनकर, हनुमान गढ़ी, राजघाट वर्कशॉप के पीछे, दतिया, मध्यप्रदेश 475661	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, छतरपुर.
6.	श्रीमती कनक लता सोनकर पत्नि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, जज कॉलोनी, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश 450331.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, खण्डवा.
7.	श्री भैयालाल वर्मा आत्मज श्री महावीर प्रसाद वर्मा, मकान नं. 29, कम्फर्ट हेरिटेज, अयोध्या बासपास रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश 462041.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना.
8.	श्री रमेश मावी आत्मज श्री सोमला, 295, पल्हर नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश 452005.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कटनी.
9.	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नि श्री अशोक शर्मा, 475, एम.आर. 3 महालक्ष्मी नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश 452010.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दमोह.
10.	श्री देवनारायण पाटिल आत्मज श्री भंवरलाल पाटिल, 120 आस्था विद्या मंदिर के पास, भोपाल रोड श्यामपुर सीहोर, मध्यप्रदेश 466651.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रीवा.

2. अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी:—

2.1 नियुक्त अधिकारी को अपनी पदस्थापना स्थान पर दिनांक 22 सितम्बर 2018 तक पद का कार्यग्रहण करना होगा.

2.2 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

2.3 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की सेवा शर्तें मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष के वेतन (मानदेय, भत्ते) एवं सेवा शर्तें नियम, 2018 में उल्लेखित सेवा शर्तों के अनुसार होंगी.

2.4 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम को मुख्य जिला फोरम से सम्बद्ध किये गये जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में भी अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. 10904–न्या.लि.–2018.—सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–दो(क) 15–99–बी–3–दो दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संख्यांक–2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/मेडीकल कॉलेज चौकी, थाना गोपालगंज के ग्रामों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तिली वार्ड	3 किमी थाना गोपालगंज	2 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18 दिनांक 29-09-18 एवं गृह विभाग म. प्र. शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल दिनांक 06-09-18 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/मेडीकल कॉलेज स्थापित किये जाने से थाना गोपालगंज में सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
2	सुआतला	14 किमी थाना गोपालगंज	4 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज.	-	—''—
3	मेनपानी	12 किमी थाना गोपालगंज	9 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
4	तालचिरी	10 किमी थाना गोपालगंज	12 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
5	मझगुवा	13 किमी थाना गोपालगंज	13 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
6	तिरूपतिपुरम	03 किमी थाना गोपालगंज	500 मी.	-	—''—
7	वैशाली नगर	03 किमी थाना गोपालगंज	1 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
8	मेडीकल कॉलेज तिली.	03 किमी थाना गोपालगंज	100 मी.	-	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	तिली अस्पताल केम्पस.	02 किमी थाना गोपालगंज	0 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
10	बसंत बिहार कालोनी.	03 किमी थाना गोपालगंज	500 मी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—
11	संजय ड्राईव, चैतन्य अस्पताल मौर्य अस्पताल.	03 किमी थाना गोपालगंज	1 किमी नवीन पुलिस चौकी जिला अस्पताल/ मेडीकल कॉलेज से.	-	—''—

क्र. 10905-न्या.लि.-2018.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी नौनिया थाना मालथौन के ग्रामों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नौनिया	24 किमी थाना मालथौन	0 किमी नवीन पुलिस चौकी नोनिया	-	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 एवं गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी नौनिया स्थापित किये जाने से थाना मालथौन में सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी नौनिया में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
2	मडखेरा	20 किमी थाना मालथौन	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
3	गंभीरिया	20 किमी थाना मालथौन	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	नीमखेड़ा	20 किमी थाना मालथौन	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
5	दरी	20 किमी थाना मालथौन	5 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
6	बीकोर खुर्द	19 किमी थाना मालथौन	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
7	लक्ष्छासर	18 किमी थाना मालथौन	7 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
8	समसपुर	20 किमी थाना मालथौन	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
9	खटोरा	20 किमी थाना मालथौन	5 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—
10	बीकोर कलां	16 किमी थाना मालथौन	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, नोनिया	-	—''—

क्र. 10906-न्या.लि.-2018.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी बराज, थाना शाहगढ़ के ग्रामों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बराज	12 किमी थाना शाहगढ़	0 किमी नवीन चौकी बराज	-	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 एवं गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी बराज स्थापित किये जाने से थाना शाहगढ़ में सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी बराज में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	खरगोरानी	13 किमी थाना शाहगढ़	1 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
3	निबुआखेड़ा	01 किमी थाना शाहगढ़	3 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
4	सेमरा सानोधा	03 किमी थाना शाहगढ़	6 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
5	झड़ोला	05 किमी थाना शाहगढ़	6 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
6	तारपोह	02 किमी थाना शाहगढ़	5 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
7	बरगुवां	02 किमी थाना शाहगढ़	3 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
8	कानीखेड़ी	02 किमी थाना शाहगढ़	2 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
9	रिछाई	03 किमी थाना शाहगढ़	3 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
10	कजरावन (श्यामपुरा)	03 किमी थाना शाहगढ़	5 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
11	निवाही	04 किमी थाना शाहगढ़	7 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
12	बट्ठवाहा	05 किमी थाना शाहगढ़	9 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
13	बुडेरा	06 किमी थाना शाहगढ़	10 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—
14	भटाझोर	05 किमी थाना शाहगढ़	10 किमी नवीन चौकी बराज	-	—''—

क्र. 10907-न्या.लि.-2018.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी झण्डा चौक, थाना राहतगढ़ के ग्रामों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पानीबाग	4 किमी थाना राहतगढ़	500 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 एवं गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी झण्डा चौक स्थापित किये जाने से थाना राहतगढ़ में सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी झण्डा चौक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
2	गावरी	10 किमी थाना राहतगढ़	7 किमी नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
3	छीरखेड़ा	8 किमी थाना राहतगढ़	5 किमी नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
4	नयापुरा	8 किमी थाना राहतगढ़	5 किमी नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
5	लालबाग	10 किमी थाना राहतगढ़	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
6	गाजीखेड़ा	12 किमी थाना राहतगढ़	7 किमी नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
7	वार्ड क्र. 06	01 किमी थाना राहतगढ़	200 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—
8	वार्ड क्र. 07	02 किमी थाना राहतगढ़	500 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	वार्ड क्र. 08	01 किमी थाना राहतगढ़	100 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	–
10	वार्ड क्र. 09	01 किमी थाना राहतगढ़	100 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	–
11	वार्ड क्र. 10	01 किमी थाना राहतगढ़	100 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	–
12	वार्ड क्र. 11	01 किमी थाना राहतगढ़	100 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	–
13	वार्ड क्र. 12	01 किमी थाना राहतगढ़	100 मीटर नवीन पुलिस चौकी, झण्डा चौक	–	–

क्र. 10908-न्या.लि.-2018.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी रजवांस, थाना बांदरी के ग्रामों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रजवांस	16 किमी थाना बांदरी	0 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	–	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 एवं गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी रजवांस स्थापित किये जाने से थाना बांदरी में सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी रजवांस में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
2	बिसरहा	18 किमी थाना बांदरी	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	–	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	उमरई	20 किमी थाना बांदरी	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
4	बनखिरिया	18 किमी थाना बांदरी	04 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
5	गढ़ोला गुसाई	10 किमी थाना बांदरी	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
6	हनौता दुगाहा	10 किमी थाना बांदरी	30 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
7	सिमरिया	25 किमी थाना बांदरी	15 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
8	खड़ौआ	10 किमी थाना बांदरी	7 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
9	संजरा लिधोरा	21 किमी थाना बांदरी	18 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
10	पाली रैयर ग्रान्ट	13 किमी थाना बांदरी	06 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
11	पाली सुजान	10 किमी थाना बांदरी	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
12	सुमरा गुरू	25 किमी थाना बांदरी	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
13	रतनुपर	20 किमी थाना बांदरी	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
14	रेडान ग्रान्ट	13 किमी थाना बांदरी	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
15	रेडॉन माल	13 किमी थाना बांदरी	12 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
16	पदमरी	18 किमी थाना बांदरी	16 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
17	हिनौदा	12 किमी थाना बांदरी	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	मडावन मार	18 किमी थाना बांदरी	8 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
19	महुहा हार	21 किमी थाना बांदरी	17 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
20	हडुआ	20 किमी थाना बांदरी	18 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
21	गढ़ौली	25 किमी थाना बांदरी	15 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
22	बोबई	20 किमी थाना बांदरी	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
23	तिगरा	17 किमी थाना बांदरी	03 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
24	करैया माफी	11 किमी थाना बांदरी	15 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
25	बंगेला	20 किमी थाना बांदरी	07 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
26	ललोई	22 किमी थाना बांदरी	09 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
27	अकाई	18 किमी थाना बांदरी	12 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
28	शंकरपुरा	17 किमी थाना बांदरी	13 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
29	मगरा	07 किमी थाना बांदरी	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
30	बम्होरी हुड्डा	10 किमी थाना बांदरी	08 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
31	चौका	25 किमी थाना बांदरी	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
32	खैरा	25 किमी थाना बांदरी	04 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	गंगौआ	10 किमी थाना बांदरी	14 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
34	हिन्नोदा	20 किमी थाना बांदरी	07 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
35	सागौनी	25 किमी थाना बांदरी	13 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
36	तिगरा बुजुर्ग	13 किमी थाना बांदरी	08 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
37	देवराजी	30 किमी थाना बांदरी	10 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
38	गीदा	35 किमी थाना बांदरी	24 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
39	पथरिया बामन	25 किमी थाना बांदरी	08 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—
40	हड़ली	20 किमी थाना बांदरी	14 किमी नवीन पुलिस चौकी, रजवांस	-	—''—

क्र. 10909-न्या.लि.-2018.—सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिला सागर में नवीन पुलिस चौकी कृषि मण्डी, थाना खुरई (शहर) के ग्रामों एवं वार्डों के परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वर्तमान में किस थाना/चौकी के अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है.	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुभाष वार्ड	01 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक यूओ क्र. 107, 108-आर-930-व-8-चार-18, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 एवं गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. एफ2 (क)-10-2015-बी-3-दो-भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के द्वारा नवीन पुलिस चौकी कृषि मण्डी स्थापित किये जाने से थाना खरई के सम्मिलित ग्राम नवीन पुलिस चौकी कृषि मण्डी में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	भवनादास चंदेल वार्ड	1/2 किमी थाना खुरई (शहर)	1 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
3	शिवाजी वार्ड	1 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
4	अब्दुल हमीद वार्ड	1 किमी थाना खुरई (शहर)	1 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
5	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड	2 किमी थाना खुरई (शहर)	1 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
6	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड	2 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
7	बिहारी वार्ड	1 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
8	सतनाई	3 किमी थाना खुरई (शहर)	4 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
9	हनौता	5 किमी थाना खुरई (शहर)	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
10	हरदुआ	5 किमी थाना खुरई (शहर)	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
11	आसौली घाट	9 किमी थाना खुरई (शहर)	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी ग्रामीण	-	—''—
12	गिलटौरा	6 किमी थाना खुरई (शहर)	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
13	महूना जाट	7 किमी थाना खुरई (शहर)	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
14	दलपतपुर	5 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
15	खजरा हरचंद	6 किमी थाना खुरई (शहर)	1 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
16	आलखेड़ी	3 किमी थाना खुरई (शहर)	4 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	महूना कायस्थ	10 किमी थाना खुरई (शहर)	12 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
18	कजरई	10 किमी थाना खुरई (शहर)	4 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
19	जरवांस	6 किमी थाना खुरई (शहर)	2 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
20	मुकारमपुर	5 किमी थाना खुरई (शहर)	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
21	कठैली	8 किमी थाना खुरई (शहर)	6 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
22	शव्दा	9 किमी थाना खुरई (शहर)	7 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
23	जगदीशपुरा	4 किमी थाना खुरई (शहर)	3 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
24	टीहर	5 किमी थाना खुरई (शहर)	4 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
25	रुसल्ला	3 किमी थाना खुरई (शहर)	4 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—
26	सुनेटी	4 किमी थाना खुरई (शहर)	5 किमी नवीन पुलिस चौकी, कृषि मण्डी	-	—''—

आलोक कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

देवास विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 5795-वि.यो 496-2018.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार

निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन
2. कलेक्टर देवास, जिला देवास
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवास विकास योजना, 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	4	4-सा-15	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग[xx]
		कृषि	4	4-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी[x], प्रदूषणकारी उद्योग[xx],कृषि पर्यटन सुविधा[xxx] एव गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या:

i[x] सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii[xx] गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii[xxx] कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीप:—उपरोक्त [x] एवं [xx] के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan,gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का, अवसान होने के पूर्व) सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राहुल जैन, संचालक.

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

केवियट हेतु विज्ञप्ति

~~पत्र क्र. 2945-कार्य-2018.~~—सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) अन्तर्गत अनुबंध क्र. 07-डी.एल.-2017-18, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के माध्यम से निर्माणाधीन आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है, परियोजना के डूब क्षेत्र में ग्राम पिपलिया भोजू, रोशनी, बाराकुण्ड एवं भोजूढाना, तहसील खालवा की आंशिक जमीन प्रभावित होगी. परियोजना से 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित होकर परियोजना का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है.

परियोजना डूब प्रभावितों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि से अधिक की मांगों को लेकर न्यायालयीन स्थगन आदेश प्राप्त कर निर्माण कार्य को बाधित किया जाना संभावित है.

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा शासन का पक्ष सुने बगैर एक तरफा स्थगन आदेश पारित न हो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में केवियट दायर की जा रही है.

एस. एम. चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग-गरोठ, जिला-मंदसौर (म. प्र.)

गरोठ, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. 5033-रीडर-भू-अर्जन-डक्ट एक्ट-2018

प्ररूप-ख

(नियम ५ का उपनियम (२) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिचाई परियोजना में जल परिवहन हेतु ग्राम (अनुसुचिनुसार) तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर में मध्यप्रदेश राज्य मै मैसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चरस लिमीटेड द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उत्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मै, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मै वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,२०१२ (क्रमांक ५ सन २०१३) कि धारा ३ कि उपधारा (१) द्वारा प्रादत शक्तियो का प्रयोग मै लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उत्त अनुसूची मै वर्णित भूमि मै हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उत्त अधिनियम कि धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मै प्रकाशित होती है ईक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के संबंध मै सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय राजस्व गरोठ जिला मंदसौर मध्यप्रदेश को लिखित मे आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मै)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
1	मंदसौर	शामगढ	असावती	1043	0.027
2	मंदसौर	शामगढ	असावती	1041/2	0.018
3	मंदसौर	शामगढ	असावती	1041/1	0.027

4	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1040/3	0.014
5	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1040/2	0.021
6	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1064	0.055
7	मंदसौर	शामगढ़	असावती	1104/1	0.010
8	मंदसौर	शामगढ़	असावती	936	0.040
9	मंदसौर	शामगढ़	असावती	935	0.002
10	मंदसौर	शामगढ़	असावती	933	0.011
11	मंदसौर	शामगढ़	असावती	930	0.010
12	मंदसौर	शामगढ़	असावती	929	0.016
13	मंदसौर	शामगढ़	असावती	920	0.028
14	मंदसौर	शामगढ़	असावती	893	0.030
15	मंदसौर	शामगढ़	असावती	894	0.007
16	मंदसौर	शामगढ़	असावती	866	0.014
17	मंदसौर	शामगढ़	असावती	867	0.015
18	मंदसौर	शामगढ़	असावती	868	0.046
19	मंदसौर	शामगढ़	असावती	869	0.003
20	मंदसौर	शामगढ़	असावती	151	0.026
21	मंदसौर	शामगढ़	असावती	148	0.036
22	मंदसौर	शामगढ़	असावती	121/1	0.008
23	मंदसौर	शामगढ़	असावती	122	0.053
24	मंदसौर	शामगढ़	आगर	207	0.031
25	मंदसौर	शामगढ़	आगर	206	0.063
26	मंदसौर	शामगढ़	आगर	190	0.053
27	मंदसौर	शामगढ़	आगर	32	0.023
28	मंदसौर	शामगढ़	आगर	12	0.053
29	मंदसौर	शामगढ़	आगर	11	0.029
30	मंदसौर	शामगढ़	आगर	10	0.023
31	मंदसौर	शामगढ़	आगर	8	0.009
32	मंदसौर	शामगढ़	आगर	6	0.014
33	मंदसौर	शामगढ़	आगर	5	0.047
34	मंदसौर	शामगढ़	आगर	4	0.082
35	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	573	0.033
36	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	396	0.044
37	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	398	0.009
38	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	390	0.012
39	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	388	0.018
40	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	387	0.015
41	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	386	0.006
42	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	384	0.067

43	मंदसौर	शामगढ़	आवरा	362	0.028
44	मंदसौर	शामगढ़	एरी	96	0.028
45	मंदसौर	शामगढ़	एरी	91	0.021
46	मंदसौर	शामगढ़	एरी	87	0.033
47	मंदसौर	शामगढ़	एरी	62	0.024
48	मंदसौर	शामगढ़	एरी	52/6	0.024
49	मंदसौर	शामगढ़	एरी	249	0.049
50	मंदसौर	शामगढ़	एरी	255/1	0.032
51	मंदसौर	शामगढ़	एरी	254	0.003
52	मंदसौर	शामगढ़	एरी	250	0.053
53	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.058
54	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	95	0.099
55	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	90	0.024
56	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	77	0.029
57	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	73	0.057
58	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	137	0.020
59	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	138	0.048
60	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	140	0.014
61	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	141	0.045
62	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	53	0.001
63	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	51	0.051
64	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	196	0.038
65	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	26	0.032
66	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	28	0.014
67	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	215	0.057
68	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	216	0.014
69	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	223	0.025
70	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.091
71	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	93	0.028
72	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	92	0.020
73	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	90	0.002
74	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	89	0.024
75	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	88	0.013
76	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	81	0.006
77	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	80	0.029
78	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	79	0.012
79	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	69	0.004
80	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	68	0.028
81	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	65	0.019

82	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	55	0.001
83	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	56	0.051
84	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	57	0.032
85	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	46	0.074
86	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	39	0.048
87	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	35	0.033
88	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	5	0.079
89	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	94	0.090
90	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	93	0.004
91	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	86	0.076
92	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	85	0.006
93	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	84	0.039
94	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	83	0.040
95	मंदसौर	शामगढ़	किलगारी	62	0.023
96	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1705/2	0.047
97	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1705/3	0.043
98	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1174/2	0.018
99	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1170	0.031
100	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1176	0.049
101	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1164	0.006
102	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1163	0.040
103	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1162	0.014
104	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1161	0.025
105	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1083	0.013
106	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1082	0.009
107	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1081	0.010
108	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1080	0.027
109	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1079	0.008
110	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1077	0.034
111	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1048	0.012
112	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1049	0.011
113	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1050	0.014
114	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1051/5	0.062
115	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	1053	0.022
116	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	965	0.006
117	मंदसौर	शामगढ़	कुरावन	963	0.023
118	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	3	0.022
119	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	49	0.005
120	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	51	0.019

121	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	52	0.016
122	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	53	0.049
123	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	65	0.052
124	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	94	0.022
125	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	96	0.014
126	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	116	0.008
127	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	112	0.059
128	मंदसौर	शामगढ़	गोपालपुरा	113	0.016
129	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	991	0.034
130	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1002	0.019
131	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1003	0.083
132	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1005	0.032
133	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1006	0.048
134	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	972	0.028
135	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	971	0.036
136	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	947	0.029
137	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	945	0.035
138	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	942	0.008
139	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	941	0.044
140	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	939	0.00020
141	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	940	0.036
142	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	931	0.014
143	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	848	0.038
144	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	849	0.047
145	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	850	0.065
146	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	853	0.040
147	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	856	0.020
148	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	857	0.018
149	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	858	0.015
150	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	859	0.017
151	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	860	0.025
152	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	861	0.044
153	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	867	0.005
154	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	871	0.006
155	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	807	0.008
156	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	806	0.009
157	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	805	0.047
158	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	289	0.002

159	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	741	0.035
160	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	740	0.010
161	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	739	0.015
162	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	737	0.030
163	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	730	0.028
164	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	731	0.030
165	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	695	0.046
166	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1594	0.044
167	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	688	0.039
168	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1599	0.029
169	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1601	0.003
170	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1602	0.019
171	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1603	0.042
172	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1604	0.021
173	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1605	0.016
174	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1606	0.030
175	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1629	0.031
176	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1630	0.004
177	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	675	0.061
178	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1632	0.015
179	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1196	0.014
180	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1197	0.011
181	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1202	0.042
182	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1201	0.023
183	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1200	0.018
184	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1207	0.063
185	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1208	0.050
186	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1212	0.052
187	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1211	0.033
188	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1302	0.008
189	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1303	0.040
190	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1304	0.010
191	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1305	0.037
192	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1309	0.061
193	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1310	0.028
194	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1312	0.006
195	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1313	0.010
196	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1314	0.023
197	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1315	0.018

198	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1398	0.012
199	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1317	0.026
200	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1331	0.012
201	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1332	0.010
202	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1342	0.013
203	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1343	0.014
204	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1350	0.012
205	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1362	0.007
206	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1368	0.002
207	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1367	0.022
208	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1375	0.055
209	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1378	0.015
210	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1498	0.003
211	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1497	0.071
212	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1839	0.067
213	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1846	0.006
214	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1847	0.044
215	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1856	0.010
216	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1861	0.018
217	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1920	0.049
218	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1919	0.053
219	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1915	0.086
220	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1914	0.021
221	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1913	0.022
222	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1879	0.042
223	मंदसौर	शामगढ़	चन्दवासा	1891	0.002
224	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	164	0.036
225	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	166	0.039
226	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	165	0.011
227	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	261	0.032
228	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	267	0.016
229	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	268	0.003
230	मंदसौर	शामगढ़	तोलाखेडी	269	0.037
231	मंदसौर	शामगढ़	बनी	602	0.111
232	मंदसौर	शामगढ़	बनी	592	0.056
233	मंदसौर	शामगढ़	बनी	150	0.086
234	मंदसौर	शामगढ़	बनी	148	0.027
235	मंदसौर	शामगढ़	बनी	146	0.068
236	मंदसौर	शामगढ़	बनी	119	0.012

237	मंदसौर	शामगढ़	बनी	77	0.032
238	मंदसौर	शामगढ़	बनी	49	0.078
239	मंदसौर	शामगढ़	बनी	48	0.049
240	मंदसौर	शामगढ़	बनी	16	0.085
241	मंदसौर	शामगढ़	बनी	19	0.048
242	मंदसौर	शामगढ़	बनी	20	0.011
243	मंदसौर	शामगढ़	बनी	22	0.067
244	मंदसौर	शामगढ़	बनी	3	0.002
245	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	229	0.008
246	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	230	0.022
247	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	231	0.018
248	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	233	0.025
249	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	234	0.007
250	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	238	0.057
251	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	257	0.010
252	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	268	0.044
253	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	267	0.029
254	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	270	0.011
255	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	271	0.082
256	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	330	0.011
257	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	322	0.059
258	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	316	0.008
259	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	314	0.043
260	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	313	0.044
261	मंदसौर	शामगढ़	बन्जारी	312	0.012
262	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	480	0.003
263	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	478	0.003
264	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	432	0.021
265	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	439	0.006
266	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	440	0.016
267	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	416/2	0.004
268	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	415	0.026
269	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	408	0.002
270	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	362	0.014
271	मंदसौर	शामगढ़	बर्डिया ऊंचा	366	0.016
272	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	346	0.008
273	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	345	0.037
274	मंदसौर	शामगढ़	बापच्या	344	0.060
275	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	189	0.008

276	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	187	0.020
277	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	190/4	0.023
278	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	185	0.044
279	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	150	0.036
280	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	184	0.014
281	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	166	0.030
282	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	168	0.031
283	मंदसौर	शामगढ़	बावडी खेडा	169	0.053
284	मंदसौर	शामगढ़	बोरखेड़ी रेड़का	603	0.014
285	मंदसौर	शामगढ़	बोरखेड़ी रेड़का	602	0.014
286	मंदसौर	शामगढ़	भटूनी	143	0.050
287	मंदसौर	शामगढ़	भटूनी	144	0.056
288	मंदसौर	शामगढ़	भटूनी	145	0.002
289	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	368	0.024
290	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	341	0.054
291	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	329	0.026
292	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	331	0.037
293	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	321	0.042
294	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	320	0.036
295	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	319	0.026
296	मंदसौर	शामगढ़	सालरी	308	0.042
		कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)			**8.687**

. . . , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ, जिला-मंदसौर, मध्यप्रदेश

सीतामऊ, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्र. 1812-रीडर-भू-अर्जन-डक्ट एक्ट-2018

प्ररूप-ख

(नियम ५ का उपनियम (२) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि शामगढ़ सुवासरा सुक्ष्म सिचाई परियोजना में जल परिवहन हेतु ग्राम (अनुसुचिनुसार) तहसील सुवासरा जिला मंदसौर में मध्यप्रदेश राज्य में मैसर्स ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चरस लिमीटेड द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,२०१२ (क्रमांक ५ सन २०१३) कि धारा ३ कि उपधारा (१) द्वारा प्रादत शक्तियो का प्रयोग मै लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची मै वर्णित भूमि मै हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम कि धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मै प्रकाशित होती है ईक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय राजस्व सीतामऊ मध्यप्रदेश का लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अनु क्रमांक (१)	जिला (२)	तहसील (३)	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (४)	खसरा क्रमांक (५)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मै) (६)
1	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	57/3	0.032
2	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	57/4	0.011
3	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	53	0.044
4	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	55	0.068
5	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	54	0.002
6	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	46	0.039
7	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	134	0.021
8	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	133	0.008
9	मंदसौर	सुवासरा	अँत्रालिया	132	0.034
10	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1560	0.006
11	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1554	0.016
12	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1553	0.006
13	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1034	0.064
14	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1035	0.006
15	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1033	0.057
16	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	974	0.032
17	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	975	0.004
18	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	976	0.083
19	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	969	0.005
20	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	968	0.081
21	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	964	0.019
22	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	961	0.018
23	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	957	0.018
24	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	959	0.102
25	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	653	0.049
26	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	652	0.019

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
27	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	651	0.043
28	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	649	0.015
29	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1568	0.004
30	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1564	0.004
31	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1566	0.033
32	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1608	0.026
33	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1607	0.006
34	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1606	0.064
35	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1632	0.010
36	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1634	0.023
37	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1635	0.015
38	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1729	0.031
39	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1728	0.004
40	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1777	0.007
41	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1776	0.009
42	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1915	0.011
43	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1916	0.014
44	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1917	0.011
45	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1918	0.012
46	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1919	0.005
47	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1920	0.025
48	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1936	0.016
49	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1966	0.023
50	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1967	0.009
51	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1969	0.015
52	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	1975	0.024
53	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2053	0.004
54	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2032	0.006
55	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2028	0.028
56	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2025	0.021
57	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2188	0.022
58	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2189	0.016
59	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2190	0.019
60	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2191	0.021
61	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2192	0.014
62	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2193	0.005
63	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2194	0.032
64	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2196	0.038
65	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2197	0.004
66	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2198	0.032
67	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2199	0.015
68	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2359	0.089
69	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2403	0.044
70	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2402	0.040
71	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2462	0.003
72	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2460	0.004
73	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2421	0.041

अनु क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
74	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2459	0.036
75	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2445	0.032
76	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2448	0.008
77	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2446	0.0002
78	मंदसौर	सुवासरा	अजयपुर	2447	0.045
79	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2663	0.011
80	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2662	0.043
81	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2658	0.006
82	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2657	0.002
83	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2656	0.003
84	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2655	0.003
85	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2654	0.003
86	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2653	0.004
87	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2639	0.003
88	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2637	0.026
89	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2468	0.019
90	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2469	0.004
91	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2442	0.011
92	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2443	0.003
93	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2441	0.009
94	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2440	0.019
95	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	2419	0.002
96	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1503	0.001
97	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1515	0.024
98	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1516	0.010
99	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1536	0.017
100	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1560	0.00013
101	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1543	0.019
102	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1544	0.005
103	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1548	0.003
104	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1820	0.019
105	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1821	0.007
106	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1822	0.006
107	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1823	0.004
108	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1827	0.015
109	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1836	0.014
110	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1838	0.017
111	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1852	0.009
112	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1854	0.006
113	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1855	0.012
114	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1866	0.013
115	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1736	0.002
116	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1735	0.013
117	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1070	0.014
118	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	1871	0.020
119	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	718	0.009
120	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	721	0.003

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
121	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	684	0.011
122	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	701	0.018
123	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	699	0.019
124	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	687	0.014
125	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	686	0.002
126	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	688	0.006
127	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	654	0.009
128	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	340	0.005
129	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	273	0.015
130	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	270	0.012
131	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	233	0.019
132	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	196	0.009
133	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	193	0.004
134	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	99	0.014
135	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	100	0.007
136	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	101/2778	0.003
137	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	102	0.031
138	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	89	0.034
139	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	79	0.010
140	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	45	0.013
141	मंदसौर	सुवासरा	घसोई	19	0.069
142	मंदसौर	सुवासरा	तरावली	164	0.061
143	मंदसौर	सुवासरा	प्रतापपुरा	120	0.074
144	मंदसौर	सुवासरा	प्रतापपुरा	117	0.023
145	मंदसौर	सुवासरा	प्रतापपुरा	106	0.020
146	मंदसौर	सुवासरा	प्रतापपुरा	107	0.018
147	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	803	0.049
148	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	802	0.022
149	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	812	0.032
150	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	813	0.012
151	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	816	0.005
152	मंदसौर	सुवासरा	बड़ियागुजर	84	0.003
153	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	365	0.00113
154	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	299	0.025
155	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	272	0.078
156	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	264	0.007
157	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	266	0.046
158	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	228	0.075
159	मंदसौर	सुवासरा	बावड़ी खेड़ा/10	224	0.081
160	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	743	0.041
161	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	736	0.015
162	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	734	0.013
163	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	725	0.011
164	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	727	0.007
165	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	726	0.024
166	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	723	0.018
167	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	703	0.021

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
168	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	602	0.012
169	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	634	0.050
170	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	453	0.018
171	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	447	0.025
172	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	435	0.007
173	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	86	0.021
174	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	85	0.015
175	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	91	0.010
176	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	92	0.010
177	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	93	0.009
178	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	94	0.034
179	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	96	0.004
180	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	111	0.010
181	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	100	0.013
182	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	99	0.015
183	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	102	0.010
184	मंदसौर	सुवासरा	सेमली कांकड	26	0.017
185	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	271	0.023
186	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	270	0.020
187	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	267	0.022
188	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	266	0.032
189	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	247	0.009
190	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	246	0.014
191	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	245	0.010
192	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	177	0.002
193	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	111	0.013
194	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	112	0.012
195	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	173	0.029
196	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	172	0.013
197	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	134	0.006
198	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	135	0.008
199	मंदसौर	सुवासरा	हंसपुरा	149	0.007
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)					3.961

शैलेन्द्र सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक 7254-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 02/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम लसुडलीमहाराजा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3
1	लसुडलीमहाराजा (निजी भूमि)	15.450

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नाराणीबाई बैव अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	332/1	1.313	0.500
2	रामप्रसाद पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	330/1/8	0.506	0.250
		330/1/10	0.153	0.100
3	गुलाबचंद विष्णु पिता मोतीलाल गीताबाई बैवा मोतीलाल लक्ष्मीनारायण पिता खेमचंद जाति दर्जी नि.ग्रा.भू.	392/13/2	0.189	0.050
4	गोरधन पि मोतीलाल जाती दागी नि.ग्रा.भू.	544/1/1	0.108	0.030
5	कैलाशनारायण पि. हजारीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	562/2	1.345	0.270
6	मदनलाल आ. सेवाजी दांगी नि.ग्रा.भू.	542/2	2.276	0.800
		270/1/3	1.235	0.105
7	किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	544/2	0.645	0.250
		564/1/1	0.455	0.195
8	गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि ग्रा भू	564/2/4	0.297	0.090
9	हमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि ग्रा भू	564/2/5	0.297	0.030
10	अर्जुन पि. मोतीलाल जाति दांगी नि ग्रा सेवा खातेदार	330/1/6	0.506	0.270
		330/1/11	0.153	0.120
		330/1/12	0.253	0.050
		330/4/3	0.152	0.005
11	भागीरथ पि.गोपीलाल दांगी नि. ग्रा. भू.	330/2/2	0.380	0.350
12	रामप्रसाद पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	330/4/2	0.253	0.030
13	अमृत लाल पि. किशन लाल दांगी नि ग्रा भू	343/1/5	0.253	0.200
14	प्रेम पि. मोहन लाल दांगी नि.ग्रा.भू.	345/3/3/1	1.112	0.830
15	जगदीश पि. रामनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	344/1/1	0.362	0.190
16	गोपाल पि. रामनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	344/1/3	0.362	0.280
17	भंवरसिह उर्फ़ विनोद पि. रामप्रसाद सुतार नि ग्रा भू	392/6	0.253	0.253

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रमावित रकबा
1	2	3	4	5
18	रामलाल पि. देवाजी दांगी नि.ग्रा.भू	543/3	0.225	0.160
19	जगदीश पि. बद्रीलाल दांगी नि.ग्रा.भू	561/1	1.296	0.004
20	गोपाल पि. केदार सुमित्रा बाई पत्नि केदार दांगी नि.ग्रा.भू.	562/1	1.500	0.560
		563/1/2	2.228	0.035
21	जगदीश पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	570/1	0.450	0.300
22	राम बाबू पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	570/2	0.450	0.300
23	श्रीलाल पि देवाजी दांगी नि.ग्रा.भू.	332/2	1.314	0.280
24	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	343/1/4	0.316	0.260
		345/3/2	0.848	0.150
25	अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	345/3/3/2	0.253	0.090
26	हीरालाल आ मदनलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	342/2	0.519	0.270
		343/1/7	0.550	0.270
27	रमेश पिता रामनारायण जाति दांगी नि ग्र भू	344/1/2	0.362	0.110
28	गोपाल पिता रामनारायण जाति दांगी नि ग्रा भू	345/4/1/3	0.290	0.065
29	मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि ग्रा भू	344/2	0.354	0.220
30	नरसंगलाल पिता रामा जाति दांगी नि ग्रा भू	392/5/2	0.759	0.450
31	देवराज पिता चतरूलाल भवरी बाई बेवा चतरूलाल गायत्री बेवा रामचरण नाबा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर. माता गायत्री बाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू	392/5/1	0.759	0.410
32	गगाधर पिता पिता मागीलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	392/13/1/1	0.048	0.040
33	जगन्नाथ पिता मागीलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	392/13/1/2	0.047	0.035
34	रामबगस हीरालाल गंगाधर जगन्नाथ बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल गीताबाई देवबाई काशीबाई पुत्री मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	394/4	0.759	0.550
35	हरलाल पिता जगन्नाथ दांगी नि ग्रा भू	411/1	0.044	0.044
36	रामनारायण पिता जगन्नाथ दांगी नि ग्रा भू	393/2	0.822	0.130
		411/2	0.045	0.045
37	देवबक्ष पिता भीमा दांगी नि ग्रा भू	414/1	0.253	0.230
38	कैलाश पिता रामरतन देवबाई बेवा रामरतन बद्रो अमृत राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	414/3	1.265	0.480
39	नाथूलाल पिता ढोला जाति दांगी नि ग्रा भू	413/1	0.067	0.020
40	मदनलाल पिता घीसालाल दांगी सुगनाबाई बेवा घीसा नि ग्रा भू	401	0.329	0.115
41	बद्रीलाल रमेश कोमलप्रसाद ओमप्रकाश हरिनारायण पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण नि ग्रा भू	402/1/1	1.314	0.840
42	रामनारायण पिता मोतीलाल जाति दांगी	544/1/2	0.107	0.070
43	कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	290/2/1/3	0.273	0.005
44	गोपाल पिता दौलतराम दांगी नि ग्रा भू	290/2/1/4	0.413	0.260
		544/1/4	0.162	0.140
45	हेमराज पिता दौलतराम दांगी नि ग्रा भू	290/2/1/5	0.412	0.180
		544/1/5	0.161	0.161
46	राधेश्याम पिता मदनलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	564/1/2	0.733	0.600
47	बद्रीलाल पिता धूरीलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	543/2	0.224	0.204

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
48	कैलाश जगदीश रामचरण पिता बापूलाल अनारबाई बैवा बापूलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	543/1	0.224	0.070
49	बशीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि ग्रा भू	561/2	1.296	0.810
50	सुरेश पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि ग्रा भू	563/1/1/2	1.990	0.350
51	मदनलाल पिता देवा मोतीलाल दौलतराम देवीलाल पिता मांगीलाल बापूलाल पिता देवा जाति दांगी नि ग्रा भू	560	1.240	0.045
52	भगीरथ पिता देवा जाति दांगी नि ग्र भू	572	0.430	0.280
		640/573	0.152	0.012
53	मेवा बाई पति भवरलाल बदामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि ग्रा भू	573/2	0.202	0.162
		574	0.607	0.050
54	बद्रीलाल पिता मोतीलाल हि. 44 पै. जाति सुतार मदनलाल पिता सेवा जाति दांगी हि0 9 पै. भंवरसिंह पिता रामप्रसाद हि. 16 पै. जाति सुतार प्रेमनारायण विष्णु रामबाबू पिता हीरालाल , धापू वैवा हीरालाल हि. 9 पै. हजारीलाल पिता रामचरण हि. 5 पै. रामचरण पिता देवीलाल हि. 17 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी	571	0.417	0.045
55	मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि ग्रा भू .	573/3	0.379	0.205
56	विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नाराणीबाई बैवा अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	330/3	0.506	0.090
योगः–		कुलकिता 70	**40.252**	**15.450**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक 7624-भू-अर्जन-2018.—

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में भूमरिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ भूमरिया जलाशय के वेस्टवियर निर्माण में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

भूमरिया जलाशय

तहसील – खिलचीपुर

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)
	निजी भूमि भूमरिया जलाशय के वेस्टवियर में प्रभावित होने से	
1	ग्राम–भुमरिया की भूमि	1.488
	योग	1.488

अनुसूची (1)

1 भूमरिया जलाशय में ग्राम भूमरिया की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	बीरम पिता मथुरालाल जाति लोधा नि.ग्रा. भू–स्वामी	438/1	0.262	0.262
2	नारान,परमानन्द,कालीबाई पिता मोतिलाल मु. गजरीबाई बेवा मोतिलाल जाति लोधा नि.ग्रा.भू–स्वामी	438/2	0.262	0.262
3	प्रभुलाल पिता अमरलाल लोधा नि.ग्रा.भू–स्वामी	438/3	0.262	0.262
4	गंगाराम पिता अमरा भंवरीबाई, किशनी पुत्री अमरा लोधा नि.ग्रा. भू–स्वामी	438/4	0.262	0.262
5	कालु पिता किशना लोधा नि.ग्रा. भू–स्वामी	439/2/1	0.553	0.070
6	भूलीबाई पति परमानन्द जाति लोधा नि.ग्रा. भू–स्वामी	437	0.352	0.300
7	बीरम पिता किशना लोधा नि.ग्रा. भू–स्वामी	439/2/2	0.454	0.070
	कुल योग	7	2.407	1.488

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक 29-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—

सार्वजनिक सूचना

चूकि म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एव राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय– समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती हैं । इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म.प्र. शासन हरसी जल संसाधन विभाग को बरई तालाब योजना के लिये ग्राम बरई तहसील घाटीगांव की निजी भूमि रकवा 0.941हैं0 की आवश्यकता हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमिस्वमियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप – ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई हैं।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही हैं कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सचूना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेंगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेंगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला – ग्वालियर
तहसील – घाटीगांव
ग्राम – बरई
क्षेत्रफल – 0.941 है0

स. क्र:	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम एवं निवास स्थान	खसरा न.	कुल क्षेत्रपल (हैक्टर में.)	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टर में.)	अन्य संपत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मैदू खां, नजीर खां,रसीद खां पुत्रगण वाधा खां जति मुसलमान निवासी ग्राम बरई तहसील घाटीगांव ग्वालियर	1578	0.941है0	0.941है0	वृक्ष	–

. . . . ., कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

प्र. क्र. 23-अ-82-क्र. भू-अर्जन-2018-2619.—

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग–1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन पिपली वाला नाला तालाब योजना जलाशय योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है –

ग्राम पानगिरी तहसील रावटी जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर 07

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियो का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	पीरजी, रामचंद्र, हुकिया पिता जगना व अन्य वगैरह जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	15	0.230	0.000	0.230	
		51	0.030	0.000	0.030	
		52	0.410	0.000	0.410	
		54	0.670	0.000	0.670	
		56	0.020	0.000	0.020	
		19	0.000	1.000	1.000	
		22	0.000	0.180	0.180	
		57	0.040	0.000	0.040	
		Total	**1.400**	**1.180**	**2.580**	
2	हरचंद, वरसिंग पिता बद्रिया व अन्य वगैरह जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	13	0.00	1.500	1.500	
		47	0.000	0.630	0.630	
		Total	**0.000**	**2.130**	**2.130**	
3	दल्ला पिता वरिंगा व अन्य वगैरह जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	40	0.000	0.030	0.030	
4	दीपा पिता भेरिया जाति हटीला भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	12	0.000	0.100	0.100	
5	खातु पिता कालिया व अन्य वगैरह जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	48	0.000	0.160	0.160	
6	हकरू, दौला, कैलाश पिता गमीरा जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	45	0.000	0.050	0.050	
7	टीटा पिता हुकला जाति भील निवासी ग्राम पानगिरी तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	46	0.000	0.470	0.470	
		Total	**1.400**	**4.120**	**5.520**	

1– उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम पानगिरी में कलावटी वाला नाला तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहो है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में काई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी सैलाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है ।

प्र. क्र. 24-अ-82-क्र. भू-अर्जन-2018-2621.—

सार्वजनिक सूचना
(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग–1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कलावटी बाला नाला तालाब योजना जलाशय योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है –

ग्राम नायन तहसील रावटी जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर 10

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्प त्तियो का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	2	3	4	5	6	7
1	झीतरा पिता हुकला जाति भील अमलीयार निवासी नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	1871	0.100	0.000	0.100	
2	रामचंद्र, बहादुर, हुरजी पिता जुवारिया जाति भील ग्राम खेरियापाड़ा निवासी नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	1879	1.200	0.000	1.200	
3	हिरजी पिता पुना, बारिया ग्राम नरसिंह पाड़ा भूमि स्वामी निवासी नायन , तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	1872	0.400	0.000	0.400	
4	मोती पिता सुखला भाभर ग्राम मजरागुन्दीपाड़ा निवासी नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू –स्वामी	1890	0.710	0.000	0.710	
5	सावित्री बाई पिता दोलता व गल्लीबाई बैवा दोलता जाति भील पलासिमा अहस्तांतरणीय निवासी नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	1892	0.250	0.000	0.250	
6	रूपा पिता गलिया निवासी नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम	1893	0.400	0.000	0.400	
7	माना, कालू, गुड़िया पिता धर्मा, बद्रीबाई, मुं ी बाई पिता धर्मा व सोवनी निवासी ग्राम नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम	1873	0.420	0.000	0.420	
8	भांभूड़ा पिता कचरा भील निवासी ग्राम नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम	1874	0.920	0.000	0.920	

9	जीवला पिता खुमा डोडियार भील निवासी ग्राम नायन, तहसील रावटी व जिला रतलाम	1891	0.550	0.000	0.550	
			4.950	0.000	4.950	

1– उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम नायन में कलावटी वाला नाला तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहो है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में काई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी सैलाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है ।

प्र. क्र. 24अ–82–क्र. भू–अर्जन–2018–2623.—

सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग–1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन **कलावटी वाला नाला तालाब योजना** के अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है –

ग्राम गंगायता पाड़ा तहसील रावटी जिला रतलाम पटवारी हल्का नंबर 10

क्रं.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्तिय ों का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुखराम पिता थावरा निवासी ग्राम गंगायता पाड़ा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	76	0.180	0.000	0.180	
2	लालू, गलजी, लिम्बा, भांतु, सकुड़ा, कमला पिता थावरिया जाति भील निवासी ग्राम गंगायता पाड़ा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	77	0.600	0.000	0.600	
3	तेरू, खीमा पिता मेहजी निवासी ग्राम गंगायता पाड़ा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	61	0.280	0.000	0.280	
		Total	**1.060**	**0.000**	**1.060**	

1– उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम गंगायता पाड़ा, कलावटी वाला नाला तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र. के पक्ष में क्रय किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में काई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी सैलाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

प्र. क्र. 24-अ-82-क्र. भू-अर्जन-2018-2625.—

सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2017 एवं म.प. राजपत्र भाग–1 दिनांक 14.11.14 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारको की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 एवं 4 अनुसार भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कलावटी वाला नाला तालाब योजना जलाशय योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आवश्यकता है —

ग्राम मौलावा तहसील रावटी जिला रतलाम पटवार हल्का नंबर 10

क्रं.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियो का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	दुबली पिता हुरजी निवासी ग्राम मौलावा., तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	847/2	0.130	0.000	0.130	
		848	0.200	0.000	0.200	
		योग	**0.330**	**0.000**	**0.330**	
2	मांगीलाल पिता कचरा, भूरालाल, भांतु, रमे । पिता भावजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	842	0.600	0.000	0.600	
3	मदन पिता लीमजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू स्वामी	845/4	0.090	0.000	0.090	
		846/4	0.080	0.000	0.080	
		839/4	0.130	0.000	0.130	
		839/8	0.070	0.000	0.070	
		योग	**0.370**	**0.000**	**0.370**	
4	थावरा पिता लीमजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	839/3	0.100	0.000	0.100	
		839/7	0.100	0.000	0.100	
		845/3	0.090	0.000	0.090	
		846/3	0.080	0.000	0.080	
		योग	**0.370**	**0.000**	**0.370**	
5	कोदर पिता गोबा निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	**844**	**1.070**	**0.000**	**1.070**	
6	कोदर पिता कचरा निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	839/1/1	0.550	0.000	0.550	
		845/1	0.350	0.000	0.350	
		846/1	0.320	0.000	0.320	
		योग	**1.220**	**0.000**	**1.220**	
7	मांगू पित लीमजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	839/5	0.180	0.000	0.180	
		839/9	0.020	0.000	0.020	
		846/5	0.080	0.000	0.080	
		योग	**0.280**	**0.000**	**0.280**	
8	तोलिया, लालजी, वमडी बैवा लालजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	841	0.530	0.000	0.530	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्तियो का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
9	राकेश पिता बाबू निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	839/2	0.100	0.000	0.100	
		839/6	0.100	0.000	0.100	
		845/2	0.090	0.000	0.090	
		846/2	0.080	0.000	0.080	
		योग	**0.370**	**0.000**	**0.370**	
10	सोवनी पिता मोदू सिंह निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	839/1/2	0.250	0.000	0.250	
11	बाबू पिता हुरजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	847/1	0.640	0.000	0.640	
12	देवीलाल पिता शिवा निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	482/2	0.500	0.000	0.500	
13	कानजी पिता धारजी निवासी ग्राम मौलावा, तहसील रावटी व जिला रतलाम भू–स्वामी	483	0.520	0.000	0.520	
	महयोग		**7.050**	**0.000**	**7.050**	

1– उपरोक्त कृषको की भूमि ग्राम मौलावा में कलावटी वाला नाला तालाब योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग म.प्र. के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहो है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में काई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवसं के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है. ।

2– भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) कलेक्टर कार्यालय रतलाम अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी सैलाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के कार्यालय समय पर देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्र. 4888-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-1.	ग्राम-सरगापुर ब. नं.-536 प.ह.नं.-116.	3.54	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-1 एवं सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4889-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-हिवरा ब. नं.-602 प.ह.नं.-102.	2.10	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-1 माईनर एवं सब माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4890-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-1.	ग्राम-बम्होड़ी ब. नं.-397 प.ह.नं.-115.	1.71	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा की एल 25 एवं 26 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4891-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-लोनिया ब. नं.-535 प.ह.नं.-102.	4.15	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा की एल. 28 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4892-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-पुसेरा ब. नं.-346 प.ह.नं.-33.	10.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-6 माईनर नहर एवं सब-माईनर 1,2,3,4 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4893-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी. भाग-1.	ग्राम-जमुनिया ब. नं.-196 प.ह.नं.-118	2.70	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा की 15 एल माईनर की सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4894-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-टिकारी ब. नं.-224 प.ह.नं.-35.	5.90	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-7 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4895-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-कुदवारी ब. नं.-67 प.ह.नं.-35.	5.60	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-6 माईनर एवं 5, 6 सब माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4896-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-छुहाई ब. नं.-188 प.ह.नं.-32.	4.69	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-7 माईनर नहर एवं सब-माईनर-3 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4897-जि.भू..अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-धतुरिया ब. नं.-287 प.ह.नं.-101.	2.05	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-2 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4898-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-गगई ब. नं.-148 प.ह.नं.-32.	1.15	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-7 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4900-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-तिघरा ब. नं.-258 प.ह.नं.-101	8.45	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-3, 4, 5 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4901-जि.भू..अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2	ग्राम-ढेंकी ब. नं.-254 प.ह.नं.-102.	1.960	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-1, 2 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4902-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-घोटी, ब. नं.-154 प.ह.नं.-33.	13.35	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-7 माईनर एवं 1, 2 सब-माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4903-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-1	ग्राम-पिंडरई, ब. नं.-365 प.ह.नं.-126.	1.75	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा की एल 20 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4904-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-नरेला, ब. नं.-303 प.ह.नं.-100.	5.02	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-6 एवं 7 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4905-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-खापा, ब. नं.-111, प.ह.नं.-101	0.91	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल 4 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4906-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः समाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश, शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2.	ग्राम-देवरी, ब. नं.-283, प.ह.नं.-99.	0.58	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर की एल-8 माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 3846-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	चटुआ	11.681	भू-अर्जन अधिकारी जिला अनूपपुर (म. प्र.).	धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
		मझगवां	4.865		
		धनपुरी	32.860		
		योग . .	49.406		
		धनपुरी	1.582	भू-अर्जन अधिकारी जिला अनूपपुर (म. प्र.).	धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
			0.500		
		धनगवां	0.576		
		बम्हनी	1.038		
			0.500		
		योग . .	4.196		
		कुल योग . .	53.602		

शासकीय भूमि का रकबा—

ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
चटुआ	1.538
मझगवां	0.041
धनपुरी	16.362
धनगवां	0.030
बम्हनी	0.040
योग . .	18.011

वन भूमि का रकबा—

ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
धनपुरी	4.655
योग . .	4.655
महायोग . .	76.268

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रह पी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 484-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करही कोठार	0.032	कार्यकारी अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 480-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बगहा	2.322	कार्यकारी अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 481-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करही हरमल्ला	1.758	कार्यकारी अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 482-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करही पवाई	0.197	कार्यकारी अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 483-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	गिदुरी	0.462	कार्यकारी अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. 1594-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	अठ्ठैसा	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के महाना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1596-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पटेहरा	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के महाना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1598-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पड़री	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के टनल में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 अक्टूबर 2018

क्र. 1632-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	रिमारी	4.25	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर की लिफट 2 की माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	4.25		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1634-भू-अर्जन-प्रकाशन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु

प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	फुटौंधा	3.995	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1636-भू-अर्जन-प्रकाशन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	ऐंझी	7.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1638-भू-अर्जन-प्रकाशन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु

प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सोनवर्षा	2.225	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1640-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	सरदा	1.400	बाणसागर पक्का बांध संभाग, क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्र. 4783-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. बांदरा जलाशय परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—गुदर्रा ब. नं.-160, प.ह.नं.-99, रा.नि.मं.-लखनादौन.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.92 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.04
280	0.07
175	0.07
176/5	0.03
176/4	0.03
176/3	0.03
176/1	0.05
171	0.12
170/2	0.10
169	0.10
187	0.03
201/1	0.05
168	0.03
206	0.05
203/1	0.09
205/1	0.03
योग . .	0.92

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बांदरा जलाशय के बांध एवं नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2018

पत्र क्र. 242-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) नगर/ग्राम—माड़ो दादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.311 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/2	0.036
7/3	0.036

(1)	(2)
8/4	0.081
8/2	0.028
8/3	0.020
8/1 ख	0.016
8/1 क/1	0.016
34	0.085
37	0.112
38	0.057
39/1	0.024
39/3	0.024
40	0.049
41	0.049
42/1	0.012
42/2क	0.012
43	0.024
56/3	0.018
56/1	0.018
57/2	0.036
62	0.073
65/1	0.085
66	0.049
67/1	0.049
68/1	0.073
70/1	0.020
70/2क	0.020
84/1	0.056
83/1	0.028
85	0.040
86/1	0.036
90	0.065
74/3	0.004
योग . .	1.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 244-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—फुलझरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.446 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
140, 139	0.110
138	0.072
137	0.052
136	0.125
30	0.077
130	0.024
129	0.024
127	0.019
125	0.014
124	0.007
123	0.025
122	0.089
166	0.003
167	0.060
119	0.046
100	0.116
118	0.006
117	0.014
71	0.019
69	0.004
68	0.004
66	0.022
118/176	0.498
70/2	0.004
67	0.002
योग . .	1.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 245-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—लासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.718 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110	0.010
112	0.008
113	0.162
120	0.004
121	0.105
122	0.022
123/1	0.006
123/1/1	0.006
123/1/2	0.002
123/2	0.006
123/3	0.012
123/4	0.016
123/5	0.017
123/6	0.004
योग . .	0.069
125	0.020
183/1	0.002
183/2	0.012
योग . .	0.014
184/1	0.016
184/2	0.004
योग . .	0.020
185/1	0.028
185/2	0.024
योग . .	0.052
186	0.004
188	0.022
199	0.008
200/1	0.065
200/2	0.016
योग . .	0.081
206/1	0.073
207	0.057
208	0.047
211	0.105
214/1क	0.093
215/1क	–
215/1ख	0.040
215/2	0.450
215/3	0.450
योग . .	1.349
217	0.045
215/1क	–
215/1ख	0.040
215/2	0.450
215/3	0.450
योग . .	1.349
217	0.045
218/1क	–
218/1ख	0.077
218/2	–
योग . .	0.077
518/1	0.056
518/2	0.123
योग . .	0.169
520	0.002
521/1	0.042
521/1/1	0.043
521/2	–
521/3	0.214
योग . .	0.299
528/1क	0.029
528/1ख	0.028
528/1ग	0.028
528/2क	0.104
528/2ख	–
528/2ग	–
योग . .	0.189

(1)		(2)
634/1क/1		0.016
634/1क/2		0.020
634/1क/3		0.010
634/1ख		0.024
634/2		0.093
	योग . .	0.163
621/1क		–
621/1ख		–
621/1ग		–
621/2		–
621/3		0.038
621/4		0.080
621/5क		0.030
621/5ख		0.031
	योग . .	0.179
622/1		0.028
622/2		0.028
622/3		0.029
	योग . .	0.085
628		0.085
629/1क		0.030
629/1ख		0.030
629/2		0.060
629/3		0.060
629/4		–
629/5		–
	योग . .	0.180
630/1क		–
630/1ख		–
630/2		–
630/3		0.008
630/4		–
630/5		0.036
	योग . .	0.040
633		0.060
635/1		0.048
635/2		–
635/3		–
	योग . .	1.108
124/4ख		0.008
180/3		0.016
198/1		0.028
309		0.010
521/1		0.121
623		0.012
684/3		0.648
	योग . .	2.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 243-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—अल्हवा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.074 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
291/1/क	0.081
291/1/ग	0.081
291/2	0.016
292/1	0.172
241/1	0.139
241/2	0.139
240	0.053
242/1	0.093
243/1	0.057
251/1	0.028
251/2	0.028
253/2	0.061
254	0.049
276/1/क	0.039
276/1/ख	0.038
योग . .	1.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 246-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—अल्हवा कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.331 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
136	0.013
145/1क	0.024
145/1ख	0.028
146/1	0.020
146/2	0.020
147	0.109
योग . .	0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 241-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि अल्हवा-लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—माड़ो पांचो
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.372 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1/3	0.168
2, 3	0.168
4/1	0.036
योग . .	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अल्हवा-लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-16-17-पत्र क्र. 479-भू-अर्जन-18.—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 किलोमीटर) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम बम्हौर तहसील नागौद, जिला सतना की निजी भूमि रकबा 10.308 हे. का भू-अर्जन के लिए धारा 19 का प्रकाशन 21 अप्रैल 2017 को किया गया था, इस प्रकार 21 अप्रैल 2018 को एक वर्ष पूर्ण हो चुके है. इस अवधि के भीतर रेल्वे विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था कि संरेखण के परिवर्तित करके तकनीकी एवं वित्तीय उपयुक्तता के संबंध में सर्वेक्षण एवं परीक्षण किया जाना है अत: अवार्ड को अनुमोदित न किया जाय. वर्तमान में कार्यकारी अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना द्वारा अवार्ड अनुमोदन किये जाने का अनुरोध किया गया है. अवार्ड अनुमोदन किये जाने की अवधि 21 अप्रैल 2018 को समाप्त हो चुकी है, किन्तु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानानुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम बम्हौर तहसील नागौद, जिला सतना के अधिनिर्णय किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 सितम्बर 2018

प्र. क्र. 1409-रीडर-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम का नाम—कवठी

(घ) क्षेत्रफल—0.350 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में) (2)
59/1/1	0.050
58/3	0.130
58/1	0.170
योग . .	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 की वितरण शाखा डी. व्हाय-16 की एम.एल.-4 की माईनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. 1600-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—लूक न. 4

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.119 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/5	0.119
योग . .	0.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 अक्टूबर 2018

पत्र क्र. 1616-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—भर्जुना कला

(घ) क्षेत्रफल—2.232 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
740	0.102	–
743	0.105	–
745	0.076	–
746	0.164	–
749	0.016	–
750	0.182	–
752	0.224	–
753	0.190	–
756	0.146	–
768	0.280	–
769	0.022	–
773	0.134	–
800/3	0.084	–
807/1	0.096	–
889	0.090	–
890	0.050	–
891	0.073	–
योग . .	2.232	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1618-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—पुरैनी

(घ) क्षेत्रफल—1.267 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
39/325/1	0.030	–
39/325/2	0.030	–
42/2	0.030	–
53	0.144	–
57	0.179	–
58	0.033	–
60	0.602	–
61	0.020	–
62	0.168	–
63	0.008	–
64	0.008	–
71	0.015	–
योग . .	1.267	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1620-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—बराज

(घ) क्षेत्रफल—2.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
101	0.072	–
102	0.005	–
103	0.006	–
104	0.016	–
105	0.012	–
106	0.024	–
107	0.053	–
108	0.010	–
109	0.022	–
110	0.019	–
113	0.005	–
114	0.106	–
115	0.010	–
139	0.072	–
140	0.002	–
141	0.062	–
145	0.043	–
146	0.002	–
152	0.019	–
155	0.029	–
156	0.038	–
157	0.002	–
158	0.029	–
159	0.017	–
168	0.024	–
169	0.014	–
172	0.014	–

(1)	(2)	(3)
183	0.010	–
231	0.024	–
232	0.022	–
233	0.163	–
234	0.026	–
425	0.035	–
426	0.105	–
427	0.058	–
428	0.026	–
441	0.012	–
446	0.163	–
447	0.038	–
448	0.043	–
450	0.034	–
451	0.005	–
461/1/क/1	0.256	–
461/1/ख/2	0.110	–
461/1/ख/3	0.110	–
461/1/ख/4	0.128	–
461/1/ख/5	0.300	–
461/1/क/2	0.065	–
462	0.058	–
478	0.030	–
515	0.020	–
योग . .	2.568	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1622-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—करसरा

(घ) क्षेत्रफल—2.089 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
247	0.019	–
281	0.036	–
285	0.008	–
445	0.210	–
639	0.100	–
642/1	0.041	–
642/2	0.016	–
652	0.020	–
689	0.217	–
273	0.088	–
767	0.162	–
651	0.060	–
261	0.120	–
276	0.096	–
419	0.269	–
421	0.054	–
274	0.088	–
649	0.144	–
637	0.012	–
455	0.048	–
641	0.209	–
650	0.072	–
योग . .	2.089	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1624-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल—7.944 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
89	0.036
90	0.058
91	0.012
93	0.067
107	0.053
109	0.031
110	0.067
111	0.043
114	0.034
115	0.042
119	0.110
122	0.096
123	0.004
158	0.038
159	0.110
321	0.096
328	0.230
331	0.144
333	0.102
363	0.134
364	0.019
365	0.120
371	0.079
372	0.034
373	0.101
381	0.060
385	0.077
386	0.045
387	0.004
388	0.304
393	0.005
394	0.224
480	0.275
481	0.069
482	0.090
483	0.134
484	0.026
485	0.095
486	0.022
496	0.012
497	0.272
498	0.048
504	0.024
509	0.018
510	0.036
511/1	0.088
511/2	0.074
516	0.136
517	0.088

(1)	(2)
520	0.088
763	0.140
765	0.228
769	0.024
772	0.152
773	0.080
774	0.154
776	0.146
777	0.088
778	0.224
1020	0.180
1030	0.176
975	0.256
986	0.172
987	0.016
988	0.368
801	0.160
802	0.002
803	0.243
804	0.016
805	0.288
812	0.012
975	0.128
976	0.029
977	0.016
980	0.010
972	0.062
1014	0.115
873	0.285
योग . .	7.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1626-प्रशा.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—पोइंधा कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.293 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
303	1.116
303/314	0.168
271	0.009
योग . .	1.293
ब-शासकीय भूमि	
–	–
योग . .	–
महायोग . .	1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1628-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिंशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—बमुरहा
(घ) क्षेत्रफल—4.407 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
231	0.020	–
232	0.180	–
233	0.004	–
234	0.276	–
235	0.252	–
236	0.080	–
237	0.028	–
238	0.180	–
239	0.120	–
240	0.019	–
241	0.022	–
243	0.170	–
244	0.106	–
247	0.024	–
248	0.540	–
250	0.120	–
251	0.013	–
253	0.013	–
254	0.036	–
255	0.450	–
280	0.204	–
281	0.276	–
282	0.148	–
283	0.538	–
391	0.096	–
392	0.132	–
393	0.120	–
395	0.240	–
योग . .	4.407	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1630-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिंशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—कोटर
(घ) क्षेत्रफल—0.336 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
3334	0.288	–
3335	0.036	–
3336	0.012	–
योग . .	0.336	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. D-5950-दो-2-5-2004.—श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 22 सितम्बर 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्र. A-3579-दो-3-420-80 भाग-बारह.—श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 155 दिवस (एक सौ पचपन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी- 2011. दिनांक 11 अप्रैल 2018 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है. अतः मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश-फा. क्रमांक-इक्कीस-ब-(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत निम्नानुसार अर्द्धवेतन अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति और प्रदान की जाती है.

$$\text{अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय + मंहगाई भत्ता}}{30} \times 145$$

क्र. B-5217-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 2 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए इक्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4591-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4593-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4597-दो-2-37-2016.—श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 5 से 15 जून 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2016 से 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C-4599-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे प्रधान

न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 16 से 17 अगस्त 2018 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 अगस्त 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. A-3592-दो-2-63-2018.—श्री आर. के वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 20 से 25 अगस्त 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अगस्त 2018 से 19 अगस्त 2018 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3594-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3596-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 27 से 28 अगस्त 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3598-दो-2-42-2014.—श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 17 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3609-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 10 से 12 सितम्बर 2018 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3611-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 22 से 25 अक्टूबर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3613-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 20 से 21 अगस्त

2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3615-दो-2-124-2017.—श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 सितम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3617-दो-2-2-2017.—श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 8 सितम्बर 2018 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 8 से 12 सितम्बर 2018 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल प्रकाश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4626-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18से 20 सितम्बर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4628-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 28 से 30 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. C-4641-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4643-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 13 से 14 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4645-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4647-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4649-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 4 अगस्त 2018 का एक दिन का, 8 अगस्त 2018 का एक दिन का, 11 अगस्त 2018 का एक दिन का, 25 अगस्त 2018 का एक दिन का, 29 अगस्त 2018 का एक दिन का, 1 सितम्बर 2018 का एक दिन का तथा दिनांक 5 सितम्बर 2018 का एक दिन का कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्र. B-5209-दो-2-68-2018.—श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (J-II) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.